

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18067 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4445 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 17602.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 51/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAMIR JAGDIAH NEMADE

सि.स.नं. / गट नं. : 51/2
 भुखंड क्र. : 2PAI
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2640.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 352.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 704.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 352.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 352.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 880.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 264.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 5544.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 88.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1056.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1144.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 95312 | 6688.00 | 102000.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18068 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2837 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 35405.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 51/2. |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJKUMAR PUMJUMAL VALECHA

सि.स.नं. / गट नं. : 51/2.

भुखंड क्र. : 1

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 5311.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 708.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 1416.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 708.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 708.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1770.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 531.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 11152.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 177.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 2124.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 2301.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41687 | 13453.00 | 55140.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18069 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2698 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 26102.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 51A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ANII BHASKAR PATII

सि.स.नं. / गट नं. : 51A

भुखंड क्र. : 6

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 3915.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 522.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 1044.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 522.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 522.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1305.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 392.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 8222.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 131.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1566.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1697.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 140303 | 9919.00 | 150222.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18070 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 364 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14675.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ANIL MORESHWAR CHAUDHARI
BHARTI LILADHAR PATIL
BHASKAR BALIRAM PATIL
NILIMA KHEMRAJ PHALAK
MINAKHSHI MURLIDHAR PANCHPANDE
MURLIDHAR EKNATH PANCHPANDE
MILIND BHASKAR CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 52/1

भुखंड क्र. : 16

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2201.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 294.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 587.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 294.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 294.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 734.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 220.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4624.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 73.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 881.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 954.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 81251 | 5578.00 | 86829.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18071 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 365 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14250.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 18 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. ANUSAYA B. MOTIRAM BHOLE

सि.स.नं. / गट नं. : 52/1

भुखंड क्र. : 18

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2138.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 285.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 570.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 285.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 285.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 713.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 214.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4490.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 71.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 855.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 926.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 75742 | 5416.00 | 81158.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18072 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 366 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 15175.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : GAURISHANKAR MORESHWAR CHAUDHARI
ANIL MORESHWAR CHAUDHARI
BHARTI LILADHAR PATIL
BHASKAR BALIRAM PATIL
MILIND BHASKAR CHAUDHARI
NILIMA KHEMRAJ PHALAK
MINAKSHI MURLIDHAR PANCHPANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 52/1

भुखंड क्र. : 17

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2276.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 304.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 607.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 304.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 304.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 759.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 228.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4782.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 76.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 911.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 987.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 84032 | 5769.00 | 89801.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18073 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 367 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14250.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHASHIKALA ASHOK JUNGLE
SOUTH 92-102
SAU. LEENA CHAIRAM BHANGALE
NORTH 192-098

सि.स.नं. / गट नं. : 52/1

भुखंड क्र. : 21

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2138.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 285.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 570.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 285.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 285.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 713.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 214.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4490.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 71.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 855.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 926.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 78889 | 5416.00 | 84305.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18074 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 368 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14250.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 22 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHAMRAM RAJARAM CHAUDHARI
ASHOK RAJARAM CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 52/1

भुखंड क्र. : 22

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2138.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 285.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 570.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 285.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 285.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 713.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 214.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4490.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 71.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 855.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 926.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 78889 | 5416.00 | 84305.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18075 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 369 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 26625.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 24 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUBHASH VASUDEO PATIL
PRADEEP MARTAND BHIRUD

सि.स.नं. / गट नं. : 52/1

भुखंड क्र. : 24

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 3994.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 533.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 1065.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 533.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 533.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1331.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 399.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 8388.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 133.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1598.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1731.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 145784 | 10119.00 | 155903.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18076 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 370 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 24700.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : GAURISHANKAR MORESHWAR CHAUDHARI
ANIL MORESHWAR CHAUDHARI
BHARTI LILADHAR PATIL
BHASKAR BALIRAM PATIL
MILIND BHASKAR CHAUDHARI
NILIMA KHEMRAJ PHALAK
MINAKSHI MURLIDHAR PANCHPANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 52/1

भुखंड क्र. : 13

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 3705.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 494.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 988.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 494.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 494.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1235.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 371.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 7781.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 124.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1482.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1606.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 136721 | 9387.00 | 146108.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18077 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2659 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4637.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHASHIKALA ASHOK JANGALE

सि.स.नं. / गट नं. : 52/1

भुखंड क्र. : 21

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 696.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 93.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 186.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 93.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 93.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 232.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 70.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1463.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 23.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 232.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 255.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 24308 | 1718.00 | 26026.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18078 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3183 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6975.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 23 PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. KALPANA SUDHAKAR PATIL
SAU. RUKHMINI MADHUSUDAN PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 52/1
भुखंड क्र. : 23 PAI
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1046.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 140.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 279.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 140.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 140.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 349.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 105.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2199.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 419.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 454.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37515 | 2653.00 | 40168.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18079 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3618 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 26941.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 24 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUBHASH VASUDEO PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 52/1

भुखंड क्र. : 24

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 4041.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 539.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 1078.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 539.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 539.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1347.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 404.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 8487.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 135.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1616.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1751.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 143196 | 10238.00 | 153434.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18080 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3619 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 26941.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 24 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUBHASH VASUDEO PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 52/1

भुखंड क्र. : 24

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 4041.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 539.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 1078.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 539.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 539.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1347.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 404.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 8487.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 135.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1616.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1751.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 149124 | 10238.00 | 159362.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18081 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4346 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6975.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 8PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRAKANT GANPAT PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 52/1

भुखंड क्र. : 8PAI

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1046.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 140.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 279.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 140.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 140.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 349.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 105.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2199.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 419.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 454.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38211 | 2653.00 | 40864.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18082 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 371 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14106.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DASHRATH HARI WANI
SAU. MALTI MADHAVRAO WAGH
SHASHIKALA SUDHAKAR WANI
SOUTH 69.67 SOMTR

सि.स.नं. / गट नं. : 52/2
भुखंड क्र. : 2
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2116.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 282.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 564.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 282.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 282.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 705.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 212.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4443.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 71.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 846.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 917.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38342 | 5360.00 | 43702.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18083 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 372 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14106.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DAMU PUNDLIK PATIL
HARI POONA BHOLE

सि.स.नं. / गट नं. : 52/2
भुखंड क्र. : 3
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2116.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 282.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 564.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 282.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 282.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 705.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 212.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4443.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 71.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 846.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 917.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 78071 | 5360.00 | 83431.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18084 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 373 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14868.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ARVIND GOVINDA ANDHADE
SOUTH 148 SOMTR
RAGHUNATH TUKARAM DHAKE
NORTH 148.68

सि.स.नं. / गट नं. : 52/2
भुखंड क्र. : 4
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2230.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 297.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 595.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 297.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 297.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 743.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 223.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4682.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 74.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 892.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 966.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 82285 | 5648.00 | 87933.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18085 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 374 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 23447.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 22 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHASKAR PAUJIO ROTE

सि.स.नं. / गट नं. : 52/2

भुखंड क्र. : 22

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 3517.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 469.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 938.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 469.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 469.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1172.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 352.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 7386.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 117.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1407.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1524.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 126030 | 8910.00 | 134940.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18086 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 375 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 16259.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH MURLIDHAR RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 52/2

भुखंड क्र. : 23

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2439.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 325.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 650.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 325.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 325.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 813.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 244.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 5121.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 81.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 976.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1057.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 87401 | 6178.00 | 93579.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18087 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3094 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14725.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : GIRDHAR BHAGWAN PHEGADE

सि.स.नं. / गट नं. : 52/2

भुखंड क्र. : 17

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2209.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 295.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 589.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 295.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 295.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 736.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 221.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4640.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 74.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 884.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 958.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 79169 | 5598.00 | 84767.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18088 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3095 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14246.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. JAYAMAL CHANDRAKANT PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 52/2

भुखंड क्र. : 13

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2137.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 285.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 570.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 285.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 285.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 712.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 214.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4488.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 71.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 855.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 926.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 76581 | 5414.00 | 81995.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18089 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3311 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14246.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 29 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PURSHOTTAH H. TAWARI

सि.स.नं. / गट नं. : 52/2

भुखंड क्र. : 29

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 2137.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 285.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 570.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 285.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 285.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 712.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 214.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4488.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 71.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 855.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 926.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 77436 | 5414.00 | 82850.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18090 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3492 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7481.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHANTAABAI PURUSHOTTAM WANI

सि.स.नं. / गट नं. : 52/2

भुखंड क्र. : 16

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1122.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 150.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 299.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 150.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 150.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 374.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 112.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2357.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 37.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 449.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 486.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7629 | 2843.00 | 10472.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18091 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3563 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 23631.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH MURLIDHAR RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 52/2

भुखंड क्र. : 6

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 3545.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 473.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 945.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 473.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 473.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1182.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 354.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 7445.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 118.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1418.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1536.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 127026 | 8981.00 | 136007.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18092 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4305 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 17822.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SURENDRA HARIBAU BHIRUD

सि.स.नं. / गट नं. : 52/2

भुखंड क्र. : 5

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2673.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 356.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 713.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 356.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 356.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 891.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 267.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 5612.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 89.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1069.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1158.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 97557 | 6770.00 | 104327.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18093 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4315 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7859.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | .25/1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : P. P. CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 52/2
 भुखंड क्र. : .25/1
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1179.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 157.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 314.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 157.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 157.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 393.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 118.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2475.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 39.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 472.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 511.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 43040 | 2986.00 | 46026.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18094 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4337 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 16800.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 52/4/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHAIR. MADHAV SAH. GRUH. NIR. SANS. MARY. JALGAON

सि.स.नं. / गट नं. : 52/4/1+2

भुखंड क्र. : 21

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2520.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 336.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 672.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 336.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 336.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 840.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 252.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 5292.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1008.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1092.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 92987 | 6384.00 | 99371.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18095 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 376 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 39928.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. SADASHIV DEVIDAS ATHAWALE
DR. SUMAN SADASHIV ATHAWALE
SAUTABH CONSTRUCTON (PARTNER)
MAHENDRA GANDHI
JAYANTILAL GANDHI
EAST 399.29

सि.स.नं. / गट नं. : 53

भुखंड क्र. : 19

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 5989.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 799.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 1597.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 799.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 799.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1996.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 599.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 12578.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 200.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 2396.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 2596.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 173058 | 15174.00 | 188232.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18096 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 377 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 23225.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 20 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. RASHMI SUNIL PATIL
ONKAR SUKALAL PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 53
भुखंड क्र. : 20
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 3484.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 465.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 929.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 465.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 465.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1161.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 348.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 7317.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 116.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1394.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1510.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 128563 | 8827.00 | 137390.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18097 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 378 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 23225.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. JAYSHRI ANIL PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 53
 भुखंड क्र. : 21
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 3484.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 465.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 929.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 465.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 465.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1161.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 348.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 7317.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 116.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1394.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1510.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 128563 | 8827.00 | 137390.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18098 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 379 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 23225.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 22 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : YASHVANT KRUSHNAJI PRABHUDESAI

सि.स.नं. / गट नं. : 53
भुखंड क्र. : 22
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 3484.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 465.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 929.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 465.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 465.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1161.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 348.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 7317.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 116.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1394.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1510.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 128563 | 8827.00 | 137390.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18099 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 380 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 23225.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHIVSHANKAR BHAGAWAN TAPI

सि.स.नं. / गट नं. : 53
 भुखंड क्र. : 23
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 3484.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 465.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 929.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 465.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 465.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1161.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 348.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 7317.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 116.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1394.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1510.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 128563 | 8827.00 | 137390.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18100 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 381 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 13935.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 78 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KUMUDINI B. SUBHASH BOLE
SAU. YASHODA MITHARAM PATIL
NORTH 69-67

सि.स.नं. / गट नं. : 53
भुखंड क्र. : 78
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2090.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 279.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 557.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 279.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 279.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 697.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4390.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 836.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 906.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 77138 | 5296.00 | 82434.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18101 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 382 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 13935.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 80 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SANJAYA KASHINATH SONAWANE
SURESH NARAYAN SHINGANE
EAST 139-35

सि.स.नं. / गट नं. : 53

भुखंड क्र. : 80

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2090.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 279.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 557.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 279.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 279.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 697.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 209.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4390.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 836.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 906.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 65248 | 5296.00 | 70544.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18102 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 383 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 15398.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 31 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. VAISHALI VASANT JAVALE

सि.स.नं. / गट नं. : 53
भुखंड क्र. : 31
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2310.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 308.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 616.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 308.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 308.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 770.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 231.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4851.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 77.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 924.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1001.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 23408 | 5852.00 | 29260.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18103 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 384 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 13935.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 61 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KRUSHNABAI BAPNATU VANJARI

सि.स.नं. / गट नं. : 53
 भुखंड क्र. : 61
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 2090.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 279.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 557.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 279.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 279.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 697.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 209.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4390.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 836.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 906.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 77138 | 5296.00 | 82434.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18104 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 385 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 13935.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 64 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHALIGRAM TUKARAM INGALE
DNYANDEV EKANATH BADHE

सि.स.नं. / गट नं. : 53
भुखंड क्र. : 64
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2090.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 279.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 557.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 279.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 279.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 697.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4390.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 836.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 906.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 47147 | 5296.00 | 52443.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18105 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 386 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 13935.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 39 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ARVIND NILKANTH PATIL
DIGAMBAR PURUSHOTTAM ATTRE
WEST 139.35 SOMTR

सि.स.नं. / गट नं. : 53
भुखंड क्र. : 39
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 2090.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 279.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 557.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 279.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 279.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 697.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 209.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4390.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 836.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 906.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 75638 | 5296.00 | 80934.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18106 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 387 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 19509.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 41 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHARAD LAXMANRAO SONAWANE
SAU. LINDUMATI B. SHAMRAO PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 53

भुखंड क्र. : 41

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2926.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 390.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 780.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 390.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 390.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 975.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 293.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 6144.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 98.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1171.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1269.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 107988 | 7413.00 | 115401.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18107 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 388 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 23225.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 29 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUKADEV DATTATRAY MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 53

भुखंड क्र. : 29

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 3484.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 465.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 929.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 465.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 465.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1161.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 348.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 7317.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 116.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1394.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1510.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 128563 | 8827.00 | 137390.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18108 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 389 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 23225.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 24 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANGALDAS BABURAO ATTRE
SAU. SUNANDA RAMESH BOROLE
WEST 232.25

सि.स.नं. / गट नं. : 53
भुखंड क्र. : 24
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 3484.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 465.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 929.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 465.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 465.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1161.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 348.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 7317.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 116.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1394.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1510.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 128563 | 8827.00 | 137390.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18109 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2610 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 23225.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAM CONST.

सि.स.नं. / गट नं. : 53
भुखंड क्र. : 12
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 3484.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 465.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 929.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 465.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 465.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1161.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 348.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 7317.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 116.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1394.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1510.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 127634 | 8827.00 | 136461.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18110 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3172 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 13935.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 38 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHAPUSAHE8 DADAJI DEVRE

सि.स.नं. / गट नं. : 53

भुखंड क्र. : 38

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2090.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 279.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 557.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 279.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 279.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 697.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 209.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4390.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 836.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 906.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 74911 | 5296.00 | 80207.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18111 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3248 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6967.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 81 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MURLIDHAR DASHRATH SAPAKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 53

भुखंड क्र. : 81

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1045.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 139.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 279.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 139.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 139.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 348.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 105.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2194.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 418.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 453.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37443 | 2647.00 | 40090.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18112 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3255 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6967.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 37 PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUJATA VIVEK SHINDE

सि.स.नं. / गट नं. : 53
 भुखंड क्र. : 37 PAI
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1045.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 139.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 279.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 139.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 139.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 348.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 105.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2194.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 418.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 453.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37443 | 2647.00 | 40090.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18113 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3408 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6967.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 78 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. YASHODA MITHARAM PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 53
 भुखंड क्र. : 78
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1045.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 139.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 279.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 139.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 139.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 348.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 105.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2194.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 418.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 453.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37451 | 2647.00 | 40098.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18114 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3929 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6987.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 67/1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHAUSAHEB DADAJI DEVRE
AND OTHERS

सि.स.नं. / गट नं. : 53
भुखंड क्र. : 67/1
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1048.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 140.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 279.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 140.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 140.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 349.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 105.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2201.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 419.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 454.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38385 | 2655.00 | 41040.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18115 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3931 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 13935.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 35 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHOBHANA SHIVRAM PUSALKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 53
 भुखंड क्र. : 35
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2090.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 279.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 557.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 279.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 279.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 697.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 209.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4390.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 836.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 906.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 76583 | 5296.00 | 81879.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18116 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3932 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 13935.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 36 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHOBHANA SHIVRAM PUSALKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 53

भुखंड क्र. : 36

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2090.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 279.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 557.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 279.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 279.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 697.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 209.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4390.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 836.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 906.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 76583 | 5296.00 | 81879.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18117 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4153 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 23475.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAM CONSTRUCTION JALGOAN PRO. KISHOR RAMCHANDRA BOROLE

सि.स.नं. / गट नं. : 53
 भुखंड क्र. : 12
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 3521.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 470.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 939.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 470.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 470.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1174.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 352.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 7396.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 117.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1409.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1526.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 127170 | 8922.00 | 136092.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18118 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4219 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6967.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 56 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMCHANDRA NARAYAN KINGE

सि.स.नं. / गट नं. : 53

भुखंड क्र. : 56

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1045.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 139.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 279.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 139.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 139.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 348.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 105.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2194.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 418.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 453.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38140 | 2647.00 | 40787.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18119 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4275 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6967.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 65 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASUDEV TIKARAM SAVDEKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 53
 भुखंड क्र. : 65
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1045.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 139.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 279.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 139.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 139.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 348.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 105.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2194.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 418.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 453.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38139 | 2647.00 | 40786.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18120 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4307 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6962.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 37 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT SAKHARAM PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 53
 भुखंड क्र. : 37
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1044.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 139.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 278.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 139.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 139.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 348.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 104.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2191.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 418.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 453.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38102 | 2644.00 | 40746.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18121 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4403 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 23225.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 53 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRADEEPKUMAR SHANTILAL JAIN

सि.स.नं. / गट नं. : 53
 भुखंड क्र. : 17
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 3484.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 465.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 929.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 465.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 465.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1161.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 348.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 7317.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 116.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1394.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1510.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 127169 | 8827.00 | 135996.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18122 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3354 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8152.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | M |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DEVIDAS SUNDAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1

भुखंड क्र. : M

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1223.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 163.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 326.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 163.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 163.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 408.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 122.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2568.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 41.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 489.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 530.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37676 | 3098.00 | 40774.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18123 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3923 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7652.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | K1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : GOPL S. SHIMPT

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1
 भुखंड क्र. : K1
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1148.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 153.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 306.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 153.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 153.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 383.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 115.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2411.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 38.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 459.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 497.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 42030 | 2908.00 | 44938.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18124 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4187 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8152.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DEVIDAS PUNJU PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1

भुखंड क्र. : 15

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1223.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 163.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 326.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 163.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 163.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 408.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 122.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2568.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 41.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 489.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 530.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 45120 | 3098.00 | 48218.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18125 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4367 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8152.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | K/1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : GOPAL SITARAM SHIMPI

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1
भुखंड क्र. : K/1
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1223.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 163.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 326.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 163.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 163.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 408.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 122.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2568.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 41.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 489.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 530.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 43521 | 3098.00 | 46619.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18126 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5021 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 22296.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 53/1,53/2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMKRISHNA HARI WAGHULDE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1
 भुखंड क्र. : 53/1,53/2
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 3344.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 446.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 892.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 446.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 446.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1115.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 334.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 7023.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 111.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1338.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1449.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 123415 | 8472.00 | 131887.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18127 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3283 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 17100.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1 A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BAPU BHIMRAO KULKARNI & OTHERS

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1 A

भुखंड क्र. : 1

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2565.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 342.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 684.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 342.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 342.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 855.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 257.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 5387.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 86.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1026.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1112.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 91920 | 6499.00 | 98419.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18128 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2755 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8152.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1 B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | .4/1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : GOPAL SITARAM SHIMPI

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1 B

भुखंड क्र. : .4/1

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1223.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 163.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 326.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 163.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 163.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 408.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 122.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2568.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 41.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 489.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 530.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 44798 | 3098.00 | 47896.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18129 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 830 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 19143.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : GONND NARAYAN GAJARE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A

भुखंड क्र. : 9

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2871.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 383.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 766.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 383.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 383.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 957.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 287.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 6030.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 96.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1149.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1245.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 102550 | 7275.00 | 109825.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18130 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 831 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14841.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 38 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHARDCHADRA VINAYAK MULE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A

भुखंड क्र. : 38

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2226.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 297.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 594.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 297.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 297.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 742.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 223.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4676.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 74.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 890.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 964.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 50202 | 5640.00 | 55842.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18131 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 832 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 13935.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 52 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KUNDA SUDHAKAR JOSHI

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A

भुखंड क्र. : 52

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2090.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 279.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 557.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 279.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 279.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 697.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 209.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4390.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 836.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 906.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10592 | 5296.00 | 15888.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18132 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 833 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 13935.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 51 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUDHAKAR VISHNU JOSHI

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A

भुखंड क्र. : 51

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2090.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 279.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 557.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 279.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 279.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 697.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 209.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4390.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 836.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 906.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 47426 | 5296.00 | 52722.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18133 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 834 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14432.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 56 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANJIVANI MADHUKAR BENDALE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A

भुखंड क्र. : 56

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2165.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 289.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 577.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 289.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 289.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 722.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 216.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4547.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 72.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 866.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 938.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 79888 | 5485.00 | 85373.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18134 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 835 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14033.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 57 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ARUN PANDURANG BOLE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A

भुखंड क्र. : 57

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2105.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 281.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 561.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 281.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 281.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 702.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 210.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4421.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 842.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 912.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 21332 | 5333.00 | 26665.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18135 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 836 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14047.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 47 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : LAXMAN PRAMOD KIRANGE
SHEK SALIM SHEK RAJJAK

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A
भुखंड क्र. : 47
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2107.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 281.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 562.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 281.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 281.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 702.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 211.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4425.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 843.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 913.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 79721 | 5338.00 | 85059.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18136 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 837 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14047.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 45 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHEK ABBAS AHEK YASIN

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A

भुखंड क्र. : 45

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2107.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 281.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 562.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 281.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 281.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 702.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 211.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4425.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 843.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 913.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 76721 | 5338.00 | 82059.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18137 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 838 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14864.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KUSUMBAI GOVINDA ATALE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A
 भुखंड क्र. : 33
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2230.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 297.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 595.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 297.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 297.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 743.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 223.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4682.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 74.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 892.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 966.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 82276 | 5648.00 | 87924.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18138 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 839 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14525.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. VIMALBAI MURLIDHAR RANE
SMT. SHASHIKALA RAMCHANDRA JOSHI

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A
भुखंड क्र. : 10
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2179.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 291.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 581.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 291.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 291.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 726.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 218.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4577.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 73.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 872.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 945.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 51253 | 5522.00 | 56775.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18139 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 840 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14191.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : GAYABAI NIURUTTI CHIMKAR
CHANDRASHEKAR NIURUTTIN CHIMKAR
ANUPKUMAR NIURUTTI CHIMKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A
भुखंड क्र. : 11
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2129.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 284.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 568.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 284.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 284.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 710.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 213.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4472.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 71.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 851.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 922.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 59534 | 5394.00 | 64928.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18140 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 841 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8343.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | I |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. PARMILABAI BABURAO PATIL
DILIP LATAKAN JADHAV

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A
भुखंड क्र. : I
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 167.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 334.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 167.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 167.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 417.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 125.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2628.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 42.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 501.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 543.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 46196 | 3171.00 | 49367.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18141 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 842 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 16924.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | S1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJARAM NAMDEO KUMAVAT
PHAKIRA RAJARAM KUMAVAT

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A
भुखंड क्र. : S1
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2539.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 338.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 677.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 338.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 338.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 846.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 254.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 5330.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 85.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1015.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1100.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 92463 | 6430.00 | 98893.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18142 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 843 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 16304.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | N |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUHAS DINKAR MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A

भुखंड क्र. : N

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2446.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 326.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 652.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 326.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 326.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 815.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 245.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 5136.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 82.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 978.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1060.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 90254 | 6196.00 | 96450.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18143 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 844 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 17140.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | O |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BAPU BHIMRAO KULKARNI
PRALHAD ATMARAM PATIL
SAU. MINAKSHI HUKUMCHAND PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A
भुखंड क्र. : O
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2571.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 343.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 686.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 343.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 343.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 857.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 257.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 5400.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 86.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1028.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1114.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 94877 | 6514.00 | 101391.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18144 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 845 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 16783.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | P |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. PUSHAPABAI HARILAL PATIL
SURESH MOTIRAM JADHAV

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A
भुखंड क्र. : P
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2517.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 336.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 671.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 336.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 336.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 839.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 252.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 5287.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1007.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1091.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 92900 | 6378.00 | 99278.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18145 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2641 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7023.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 47PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DNYANDEV DEVARA KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A
 भुखंड क्र. : 47PAI
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1053.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 140.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 281.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 140.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 140.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 351.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 105.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2210.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 421.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 456.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37735 | 2666.00 | 40401.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18146 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3465 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7664.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ANAT VASANT RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A

भुखंड क्र. : 1

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1150.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 153.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 307.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 153.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 153.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 383.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 115.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2414.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 38.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 460.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 498.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 39342 | 2912.00 | 42254.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18147 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3604 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8150.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANOJ GOVARDHAN DHAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A
 भुखंड क्र. : 2
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1223.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 163.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 326.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 163.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 163.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 408.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 122.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2568.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 41.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 489.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 530.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 45115 | 3098.00 | 48213.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18148 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3605 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8150.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANOJ GOVARDHAN DHAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A

भुखंड क्र. : 3

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1223.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 163.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 326.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 163.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 163.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 408.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 122.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2568.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 41.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 489.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 530.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 43322 | 3098.00 | 46420.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18149 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3743 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 13935.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 39 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHRI SATPNTHI SAMAJ SEVA MANDAL

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A

भुखंड क्र. : 39

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2090.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 279.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 557.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 279.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 279.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 697.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 209.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4390.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 836.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 906.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 75747 | 5296.00 | 81043.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18150 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3744 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 13900.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 39 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHRI SATPNTHI SAMAJ SEVA MANDAL

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A

भुखंड क्र. : 39

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 278.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 556.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 278.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 278.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 695.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 209.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4379.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 834.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 904.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 76948 | 5283.00 | 82231.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18151 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4018 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 11967.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | P |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SURESH MOTIRAM JADHAV

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A

भुखंड क्र. : P

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1795.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 239.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 479.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 239.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 239.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 598.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 180.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3769.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 60.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 718.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 778.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 65959 | 4547.00 | 70506.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18152 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4129 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3790.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 35/2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : TUKARAM NAMADEO BAVISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A

भुखंड क्र. : 35/2

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 569.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 76.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 152.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 76.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 76.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 190.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 57.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1196.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 190.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 209.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20244 | 1405.00 | 21649.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18153 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4502 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 13900.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 39 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SALANTHI SAMJSEVA MANDAL JALGAON

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A

भुखंड क्र. : 39

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 278.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 556.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 278.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 278.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 695.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 209.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4379.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 834.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 904.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 75280 | 5283.00 | 80563.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18154 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4534 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14046.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 48 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHRAVAN HARI WANI

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1A

भुखंड क्र. : 48

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2107.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 281.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 562.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 281.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 281.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 702.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 211.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4425.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 843.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 913.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 75506 | 5338.00 | 80844.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18155 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 828 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 18729.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | G |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUSHILABAI JAGANNATH CHAUDHARI
KAMALABAI BHADA CHAUDHARI
ATMARAM DAMU PATIL
SAU. VIMALBAI ATMARAM PATIL
SAU. SUNANDA PANDURANG PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1B
भुखंड क्र. : G
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2809.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 375.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 749.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 375.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 375.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 936.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 281.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 5900.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 94.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1124.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1218.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 103674 | 7118.00 | 110792.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18156 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 829 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 15050.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANJAY RAJARAM MARATHE
MADHUKAR RAJARAM MARATHE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1B
भुखंड क्र. : 6
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2258.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 301.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 602.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 301.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 301.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 753.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 226.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4742.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 75.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 903.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 978.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 83320 | 5720.00 | 89040.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18157 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4506 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7526.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/1B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MADHUKAR RAJARAM MARATHE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/1B
 भुखंड क्र. : 6PAI
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1129.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 151.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 301.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 151.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 151.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 376.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 113.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2372.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 38.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 452.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 490.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 101158 | 2862.00 | 104020.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18158 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 852 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 23887.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 25 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAURABH COSNSTRUCTION CO.
SHRI. MAHENDRA JAYANTILAL GANDHI

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2
भुखंड क्र. : 25
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 3583.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 478.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 955.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 478.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 478.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1194.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 358.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 7524.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 119.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1433.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1552.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 132208 | 9076.00 | 141284.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18159 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2583 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 13535.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 42 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU SHASHIKALA BHASKER RADE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2

भुखंड क्र. : 42

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2030.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 271.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 541.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 271.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 271.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 677.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 203.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4264.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 68.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 812.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 880.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 72675 | 5144.00 | 77819.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18160 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3282 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8303.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2 B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : J.S.V.R. KRUSHNAPRASAD

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2 B

भुखंड क्र. : 7 PAI

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1245.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 166.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 332.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 166.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 166.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 415.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 125.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2615.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 42.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 498.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 540.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 44633 | 3155.00 | 47788.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18161 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4980 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4351.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2. |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BASHIR AHAMD PATEL

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2.
भुखंड क्र. : 13PAI
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 653.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 87.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 174.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 87.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 87.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 218.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 65.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1371.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 22.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 218.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 240.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8055 | 1611.00 | 9666.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18162 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 853 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 23243.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SITARAM TUKARAM KOLHE
RAHUL HARI KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2A
भुखंड क्र. : 21
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 3487.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 465.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 930.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 465.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 465.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1162.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 349.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 7323.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 116.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1395.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1511.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 26902 | 8834.00 | 35736.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18163 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 854 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 23690.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 22 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHARULATA AVINATH PATIL
AVINASH SHRIDHAR PATIL
SAU. RAJNI BALIRAM PATIL
RAJENDRA BHAGWAT BHOLE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2A

भुखंड क्र. : 22

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 3554.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 474.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 948.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 474.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 474.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1185.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 355.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 7464.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 118.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1421.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1539.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 131128 | 9003.00 | 140131.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18164 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 855 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 23692.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAYANT VAMAN CHAUDHARI
SHRIKANT VAMAN CHAUDHARI
PRALHAD VAMAN CHAUDHARI
SUMATIBAI B. VAMAN CHAUDHARI
SAU. SUMAN PRALHAD WANI

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2A
भुखंड क्र. : 23
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 3554.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 474.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 948.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 474.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 474.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1185.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 355.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 7464.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 118.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1422.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1540.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 131134 | 9004.00 | 140138.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18165 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 856 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 23690.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 24 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. PRABHAWATI HIRALAL DHANDE
DILIP NARAYAN RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2A
भुखंड क्र. : 24
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 3554.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 474.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 948.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 474.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 474.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1185.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 355.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 7464.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 118.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1421.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1539.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 129233 | 9003.00 | 138236.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18166 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 857 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14938.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 30 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUNDARBAI KASHINATH ATTARDE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2A

भुखंड क्र. : 30

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2241.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 299.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 598.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 299.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 299.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 747.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 224.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4707.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 75.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 896.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 971.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 82695 | 5678.00 | 88373.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18167 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 858 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 17428.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAGHUNATH HARI BARHATE
LAXMAN HUNA BOROLE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2A
भुखंड क्र. : 33
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 2614.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 349.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 697.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 349.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 349.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 871.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 261.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 5490.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 87.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1046.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1133.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 63630 | 6623.00 | 70253.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18168 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 859 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14005.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 34 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHASKAR VITTHAL ASODEKAR
SAU. SHITAL BHASKAR ASODEKAR
SAU. MANISHA YASHVANT DIXIT

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2A
भुखंड क्र. : 34
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2101.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 280.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 560.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 280.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 280.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 700.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 210.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4411.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 840.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 910.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 62015 | 5321.00 | 67336.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18169 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 860 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14005.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 35 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. PRABHAWATI ANANT PATIL
SAU. KAMALABAI MOHAN PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2A
भुखंड क्र. : 35
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 2101.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 280.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 560.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 280.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 280.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 700.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 210.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4411.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 840.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 910.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 64790 | 5321.00 | 70111.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18170 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 861 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 13936.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 41 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : TRYAMBAK SOMA MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2A

भुखंड क्र. : 41

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2090.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 279.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 557.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 279.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 279.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 697.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 209.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4390.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 836.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 906.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 50418 | 5296.00 | 55714.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18171 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2663 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 23457.80 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRALHAD PANDHARINATH RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2A

भुखंड क्र. : 21

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 3519.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 469.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 938.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 469.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 469.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1173.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 352.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 7389.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 117.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1407.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1524.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 126083 | 8913.00 | 134996.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18172 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2924 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 11845.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 24 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP NARAYAN RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2A

भुखंड क्र. : 24

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1777.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 237.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 474.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 237.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 237.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 592.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 178.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3732.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 59.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 711.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 770.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 65576 | 4502.00 | 70078.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18173 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3032 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7002.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 35 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. PRABHAVATI ANIL PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2A

भुखंड क्र. : 35

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1050.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 140.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 280.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 140.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 140.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 350.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 105.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2205.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 420.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 455.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37634 | 2660.00 | 40294.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18174 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3045 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9337.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAGHUNATH HARI BARHATE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2A

भुखंड क्र. : 33

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1401.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 187.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 373.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 187.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 187.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 467.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 140.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2942.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 47.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 560.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 607.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 33282 | 3549.00 | 36831.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18175 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4061 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 10553.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BALIRAM DHAMU BOROLE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2A
 भुखंड क्र. : 13PAI
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1583.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 211.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 422.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 211.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 211.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 528.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 158.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3324.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 53.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 633.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 686.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 57775 | 4010.00 | 61785.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18176 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 846 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14190.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : TUKARAM RAMCHANDRA CHAUDHARI
SHARADCHANDRA VIRAT CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2B

भुखंड क्र. : 8

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2129.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 284.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 568.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 284.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 284.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 710.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 213.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4472.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 71.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 851.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 922.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 78551 | 5394.00 | 83945.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18177 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 847 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14190.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY SUPDU WAGH

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2B

भुखंड क्र. : 10

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2129.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 284.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 568.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 284.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 284.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 710.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 213.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4472.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 71.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 851.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 922.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 71345 | 5394.00 | 76739.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18178 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 848 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14190.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : HEMSING SAKHARAM PATIL
AJBSING SAKHARAM PATIL
VITTHALRAO BABURAO BORSE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2B
भुखंड क्र. : 11
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2129.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 284.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 568.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 284.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 284.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 710.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 213.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4472.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 71.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 851.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 922.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 55259 | 5394.00 | 60653.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18179 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 849 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 16606.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : NIURUTTI RAMCHANDRA KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2B

भुखंड क्र. : 12

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2491.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 332.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 664.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 332.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 332.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 830.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 249.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 5230.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 83.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 996.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1079.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 91908 | 6309.00 | 98217.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18180 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 850 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14373.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ARUN NATHTHU KULKARNI
SUBHASH RAJARAM GAYAKWAD
UMAKANT PANDURANG CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2B
भुखंड क्र. : 1
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2156.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 287.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 575.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 287.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 287.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 719.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 216.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4527.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 72.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 862.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 934.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 79551 | 5461.00 | 85012.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18181 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 851 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 13935.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIMALBAI KISANRAON SALI

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2B
 भुखंड क्र. : 5
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2090.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 279.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 557.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 279.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 279.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 697.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 209.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4390.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 836.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 906.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 64136 | 5296.00 | 69432.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18182 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3965 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7000.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 54/2B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 37 PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VILAS DAULATRAO AVACHAR

सि.स.नं. / गट नं. : 54/2B
 भुखंड क्र. : 37 PAI
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1050.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 140.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 280.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 140.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 140.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 350.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 105.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2205.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 420.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 455.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38470 | 2660.00 | 41130.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18183 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 862 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 11237.52 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 42 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. VIJAYA SHRIKRUSHNA MAJUR
SAU. SHANTABAI BHAGWAN GHRUBILI
BHASKAR MADHAV PATIL
KITKUL RAKRUSHANA ZAMRE
BANSILAL SHANKAR SHIRSAL
ANANDA KASHIRAM PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 55

भुखंड क्र. : 42

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1686.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 225.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 450.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 225.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 225.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 562.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 169.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3542.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 56.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 674.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 730.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 62094 | 4272.00 | 66366.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18184 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 863 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.04 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 40 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KASHINATH DAMU MORE

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 40
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 25967 | 2541.00 | 28508.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18185 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 864 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.04 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 36 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUNIL ENATHRAO PANDIT
RAJENDRA PUNA PATIL
SAU. SHAKUNTALABAI SHANTARAM SARODE

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 36
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38182 | 2541.00 | 40723.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18186 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 865 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.04 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 35 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRALHAD SITARAM KHELWADE
PHAKIRA SANPAT VERULKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 35
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 36649 | 2541.00 | 39190.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18187 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 866 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.04 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 32 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT GIRISH WANI

सि.स.नं. / गट नं. : 55
 भुखंड क्र. : 32
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37067 | 2541.00 | 39608.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18188 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 867 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.04 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : IMAMKUMAR CHAMPAKLAL UPAK
NALINIBAI LAD

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 33
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 35952 | 2541.00 | 38493.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18189 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 868 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.04 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 34 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KASHINATH BHAGIRATH KABRE

सि.स.नं. / गट नं. : 55

भुखंड क्र. : 34

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38182 | 2541.00 | 40723.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18190 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 869 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.04 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 30 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMESH PRABHAKAR KULKARNI
SANJAY PRABHAKAR KULKARNI

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 30
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 31970 | 2541.00 | 34511.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18191 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 870 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6822.72 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIMALBAI DAYANAND BHORTAKE
KAMALBAI PREMCHAND DHANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 13
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 1023.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 136.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 273.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 136.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 136.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 341.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 102.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2147.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 409.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 443.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38933 | 2590.00 | 41523.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18192 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 871 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.04 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUMAN TIKARAM SARODE
SAU. KAMAL SHARADCHANDRA PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 12
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38182 | 2541.00 | 40723.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18193 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 872 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3344.40 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAVINDRA SHANKAR WANI
KISHOR SHANKAR WANI

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 11
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 502.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 167.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1054.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 167.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 184.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18624 | 1238.00 | 19862.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18194 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 873 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.04 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUMANBAI B. VAMAN BONDE

सि.स.नं. / गट नं. : 55

भुखंड क्र. : 10

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 25604 | 2541.00 | 28145.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18195 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 874 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3344.40 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 27/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAYANTILAL GOKULDAS KIRANGE

सि.स.नं. / गट नं. : 55
 भुखंड क्र. : 27/A
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 502.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 167.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1054.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 167.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 184.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37538 | 1238.00 | 38776.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18196 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 875 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.04 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : LATIKA VASNT KAVLE
SUBHASH BALIRAM JAVLE

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 19
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 29382 | 2541.00 | 31923.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18197 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 876 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6956.64 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 20 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MURLIDHAR VITHU SARODE

सि.स.नं. / गट नं. : 55
 भुखंड क्र. : 20
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1043.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 139.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 278.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 139.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 139.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 348.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 104.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2190.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 417.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 452.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 21470 | 2642.00 | 24112.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18198 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 877 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.04 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 45 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHAKUNTALA NAMDEORAO CHAUDHARI
DINESH NAMDEORAO CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 45
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 30782 | 2541.00 | 33323.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18199 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 878 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4973.06 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 49 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DHANAJI BHAGWAN SHIMPI
SMT. SUSHILA BLKRUSHNA PATHAK

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 49
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 746.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 99.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 199.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 99.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 99.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 249.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1566.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 25.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 249.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 274.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 27697 | 1840.00 | 29537.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18200 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 879 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.04 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 50 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : LATIK RUPCHAND BARHATE
KISHOR MADHUKAR NEVE
PANDURANG SAMBHAJI KOVALE

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 50
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 29352 | 2541.00 | 31893.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18201 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 880 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.04 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : LAHU PURUSHOTTAM VATKE

सि.स.नं. / गट नं. : 55
 भुखंड क्र. : 5
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 35952 | 2541.00 | 38493.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18202 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 881 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 15050.40 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRAKANT DEVLAL JAYSWAL
 BHALCHANDRA HARI PATIL
 RAJU SADASHIV JAGAM
 NARAYAN JAGANNATH BHAVASAR
 RAVINDRA JAGANNATH BAHAVASAR
 (SUBHASH PRABHAKAR SOLE)

सि.स.नं. / गट नं. : 55
 भुखंड क्र. : 1
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2258.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 301.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 602.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 301.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 301.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 753.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 226.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4742.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 75.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 903.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 978.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 52884 | 5720.00 | 58604.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18203 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 882 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9476.16 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 57 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SATISH RAMDAS PARDESHI

सि.स.नं. / गट नं. : 55
 भुखंड क्र. : 57
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1421.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 190.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 379.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 190.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 190.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 474.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 142.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2986.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 47.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 569.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 616.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 49767 | 3602.00 | 53369.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18204 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 883 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9476.16 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 58 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SATISH RAMDAS PARDESHI

सि.स.नं. / गट नं. : 55
 भुखंड क्र. : 58
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1421.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 190.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 379.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 190.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 190.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 474.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 142.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2986.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 47.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 569.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 616.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 49767 | 3602.00 | 53369.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18205 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 884 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9476.16 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 64 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : INDULAL PRAYAGJI PATIL
DILIP PANDIT SARODE

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 64
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 1421.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 190.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 379.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 190.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 190.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 474.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 142.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2986.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 47.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 569.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 616.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 51939 | 3602.00 | 55541.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18206 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 885 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9456.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 70/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUMAN SHANTINATH SAIWAL

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 70/A
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1418.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 189.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 378.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 189.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 189.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 473.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 142.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2978.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 47.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 567.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 614.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 53976 | 3592.00 | 57568.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18207 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 886 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9475.92 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 70 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : NARAYAN KASHINATH SONAR
RAMESH HARIBHAU KHANKRE

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 70
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1421.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 190.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 379.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 190.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 190.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 474.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 142.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2986.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 47.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 569.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 616.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 52973 | 3602.00 | 56575.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18208 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2438 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.04 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAVINORA PANDIRAO KALE
VIJAYA SUDHIR TALWELAKAR
VASUDEO JANARDHAN SHIMPI
RAJENDRA DASHARATH NIKAM

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 6
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 39658 | 2541.00 | 42199.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18209 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2442 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7510.80 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 14 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUMAN NARAYANN WAIKOLE
 ANUSAYA SUKALAL PATIL
 LAXMIKANT VASANT BAVISKAR
 VAISHALI VASANT BAVISKAR
 PANDHARINATH BDMATU MAHAJAN
 KASTURABAI PANDHARINATH MAHAJAN
 KAKA MUKUNDA PANDJARINATH MAHAJAN
 TUKARAM UKHARDU MAHAJAN
 सि.स.नं. / गट नं. : 55
 भुखंड क्र. : 14
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1127.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 150.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 300.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 150.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 150.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 376.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 113.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2366.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 38.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 451.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 489.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 42887 | 2855.00 | 45742.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18210 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2444 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.04 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 29 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUBHASHA GDVINDA WANI
VILAS GANGADHAR WANI
PANDURANG & ARJUN BHIKA WANI
NAVINKUMAR GANGADHAR WANI
KASHINATH CHIMAN CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 55

भुखंड क्र. : 29

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38180 | 2541.00 | 40721.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18211 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2453 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4973.06 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 49/2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DANAJI BHAGAVAN SHIMPI
SRI. SUSHI LA BALKRISHNA PATHAK

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 49/2
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 746.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 99.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 199.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 99.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 99.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 249.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1566.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 25.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 249.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 274.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 27696 | 1840.00 | 29536.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18212 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2454 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1720.34 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 49/1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT SONU SARAF

सि.स.नं. / गट नं. : 55
 भुखंड क्र. : 49/1
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 258.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 34.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 34.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 34.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 86.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 26.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 541.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 69.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 78.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9337 | 619.00 | 9956.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18213 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2456 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9476.16 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 59 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VINAYAK KASHIRAM DESHMUKH
PRADIP GOPALKRISHNA PATHAK
RAJEMDRA GOPAIRISHNA PATHAK
AHJALI MANEGHSHAM BHANDARI

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 59
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1421.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 190.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 379.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 190.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 190.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 474.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 142.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2986.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 47.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 569.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 616.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 54112 | 3602.00 | 57714.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18214 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2457 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9476.16 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 61 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIMAYAK GAMESH AARKADE
SAU. NIRKALA SUHAS AARKADE

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 61
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1421.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 190.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 379.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 190.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 190.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 474.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 142.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2986.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 47.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 569.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 616.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 42041 | 3602.00 | 45643.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18215 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2458 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9476.16 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 65 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRABHAKAR SHAKDAS VISPUTE
SHALIGRAM PANDHARIMATH DRAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 65
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1421.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 190.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 379.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 190.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 190.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 474.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 142.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2986.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 47.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 569.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 616.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 54112 | 3602.00 | 57714.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18216 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2459 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9476.16 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 66 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : P.B. PATIL
M.S. JAGTAP
SAN JAY MADHUSUDAN JAGTAP
VINOD PRABHAKAR BAVISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 66
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1421.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 190.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 379.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 190.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 190.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 474.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 142.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2986.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 47.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 569.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 616.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 54112 | 3602.00 | 57714.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18217 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2460 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9476.16 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 70A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUMAN SHANTINATH SAITVAL

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 70A
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 1421.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 190.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 379.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 190.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 190.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 474.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 142.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2986.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 47.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 569.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 616.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 54112 | 3602.00 | 57714.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18218 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2462 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12887.52 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 71 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MADHUKAR LAXMUN PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 55
 भुखंड क्र. : 71
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1933.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 258.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 516.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 258.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 258.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 644.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 193.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4060.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 64.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 773.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 837.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 73558 | 4897.00 | 78455.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18219 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2747 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4737.84 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 70PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMESH HARI ZAMBARE

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 70PAI
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 711.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 95.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 190.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 95.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 95.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 237.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 71.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1494.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 24.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 237.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 261.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 26009 | 1755.00 | 27764.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील
स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18220 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2986 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4738.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 64 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : INDULAL PRAYAGJI PAREKH

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 64
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 711.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 95.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 190.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 95.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 95.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 237.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 71.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1494.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 24.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 237.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 261.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 25375 | 1755.00 | 27130.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18221 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3143 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3342.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. KAMAL SHARADCHANDRA PATIL -

सि.स.नं. / गट नं. : 55
 भुखंड क्र. : 12
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 501.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 167.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1053.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 167.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 184.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17667 | 1237.00 | 18904.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18222 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3696 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3344.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 30 P |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANGAY PRABHAKAR KULKARNI

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 30 P
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 502.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 167.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1054.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 167.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 184.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 16752 | 1238.00 | 17990.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18223 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3819 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2940.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 42 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ANANDA KASHINATH PATIL
BANSILAL SHANKAR SHIRSAL

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 42
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 441.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 59.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 118.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 59.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 59.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 147.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 44.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 927.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 15.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 118.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 133.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15575 | 1060.00 | 16635.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18224 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3844 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4737.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 70/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : NARAYAN KASHINATH SONAR

सि.स.नं. / गट नं. : 55
 भुखंड क्र. : 70/B
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 711.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 95.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 189.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 95.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 95.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 237.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 71.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1493.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 24.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 237.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 261.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 25997 | 1754.00 | 27751.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18225 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4002 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3344.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 27/1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAYANTILAL GOKULDAS KARANJE

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 27/1
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 502.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 167.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1054.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 167.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 184.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18344 | 1238.00 | 19582.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18226 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4070 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3344.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASUDEV JANARDHAN SHIMPI
RAJENDRA DASHARAT NIKAM

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 6
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 502.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 167.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1054.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 167.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 184.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18210 | 1238.00 | 19448.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18227 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4293 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3342.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 50 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PANDURAN SAMBHAJI KAMBLE
KISHOR MADHUKAR NEVE

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 50
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 501.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 167.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1053.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 167.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 184.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18613 | 1237.00 | 19850.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18228 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4348 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4737.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 70/8PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMESH HARIBHAU JHAMRE

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 70/8PAI
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 711.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 95.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 189.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 95.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 95.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 237.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 71.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1493.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 24.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 237.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 261.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 25799 | 1754.00 | 27553.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18229 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4354 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4737.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 70 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : NARAYAN KASHINATH SOPNAR

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 70
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 711.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 95.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 189.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 95.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 95.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 237.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 71.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1493.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 24.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 237.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 261.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 26392 | 1754.00 | 28146.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18230 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4571 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3344.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. VIJAYA S. TALVALKAR
RAVINDRA PANDITRAO KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 6PAI
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 502.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 167.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1054.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 167.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 184.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13589 | 1238.00 | 14827.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18231 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4712 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4974.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 49/2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DHANAJI BHAGVAN SHIMPI
SMT. SUSHILA BALKRISHNA

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 49/2
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 746.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 99.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 199.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 99.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 99.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 249.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1566.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 25.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 249.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 274.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9200 | 1840.00 | 11040.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18232 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4713 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1720.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 49/1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT SONU SARAF

सि.स.नं. / गट नं. : 55
 भुखंड क्र. : 49/1
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 258.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 34.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 34.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 34.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 86.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 26.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 541.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 69.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 78.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3095 | 619.00 | 3714.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18233 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4714 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9476.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 69 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : P. B. PATIL
M. S. JAGTAP
SANJAY MADHUSADAN JAGTAP
VINOD PRABAKAR BAVISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 69
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1421.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 190.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 379.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 190.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 190.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 474.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 142.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2986.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 47.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 569.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 616.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 54106 | 3602.00 | 57708.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18234 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4997 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 55 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIKRAM BILDARS JALGAON
PROP. KIRN VIKRAMRAO DESHMUK

सि.स.नं. / गट नं. : 55
भुखंड क्र. : 2
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 35953 | 2541.00 | 38494.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18235 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1923 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7065.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGANATH ANANDA BORSE
M.R. PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/1
भुखंड क्र. : 1
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1060.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 141.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 283.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 141.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 141.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 353.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 106.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2225.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 424.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 459.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 40805 | 2684.00 | 43489.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18236 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1924 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5618.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : T.V. CHAUDHARI
R.P. CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/1
भुखंड क्र. : 4
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 843.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 112.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 225.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 112.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 112.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 281.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 84.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1769.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 28.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 281.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 309.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 31654 | 2078.00 | 33732.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18237 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1925 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2804.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | .5/1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT NADHAV DUSANE

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/1

भुखंड क्र. : .5/1

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 421.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 56.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 112.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 56.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 56.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 140.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 42.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 883.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 112.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 126.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13354 | 1009.00 | 14363.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18238 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1926 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2804.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | .5/2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DAMODAR KAUTIK TAYDE

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/1

भुखंड क्र. : .5/2

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 421.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 56.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 112.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 56.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 56.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 140.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 42.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 883.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 112.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 126.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15400 | 1009.00 | 16409.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18239 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1927 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5779.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : FAKIRA MANURAM SHEK
MADHAVB GAANPAT SAUDANE

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/1
भुखंड क्र. : 7
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 867.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 116.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 231.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 116.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 116.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 289.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 87.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1822.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 29.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 289.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 318.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 29300 | 2140.00 | 31440.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18240 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1928 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5693.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : S.K. SHEK
H.R. KHAN

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/1
भुखंड क्र. : 8
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 854.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 114.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 228.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 114.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 114.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 285.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 85.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1794.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 28.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 285.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 313.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 25458 | 2107.00 | 27565.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18241 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1929 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2837.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | .10/1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : A.T. MAHALE

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/1

भुखंड क्र. : .10/1

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 426.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 895.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15587 | 1022.00 | 16609.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील
स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18242 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1930 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2836.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | .10/2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : B.G. PAWR

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/1
भुखंड क्र. : .10/2
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 425.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 894.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15582 | 1021.00 | 16603.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18243 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1931 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6576.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : R.D. WANI
D.V. BHAVSAR

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/1
भुखंड क्र. : 11
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 986.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 132.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 263.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 132.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 132.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 329.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 99.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2073.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 395.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 428.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37992 | 2501.00 | 40493.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18244 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1932 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5760.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : B.T. SONAWANE
V.C. SONAWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/1
भुखंड क्र. : 12
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 864.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 115.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 230.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 115.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 115.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 288.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 86.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1813.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 29.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 288.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 317.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 32447 | 2130.00 | 34577.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18245 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1933 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5865.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MAROTI GANPAT SATPUTE
DILIP NAMDEO KAKLE
(VINAYAK GOKUL WAGHE)

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/1
भुखंड क्र. : 13
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 880.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 117.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 235.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 117.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 117.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 293.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 88.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1847.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 29.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 293.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 322.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 33048 | 2169.00 | 35217.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18246 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1934 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5865.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANOHAR VAMANRAO PAWAR
SURESH VAMANRAO PAWAR
P.S. NAGARE

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/1
भुखंड क्र. : 15
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 880.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 117.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 235.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 117.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 117.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 293.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 88.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1847.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 29.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 293.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 322.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 33048 | 2169.00 | 35217.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18247 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1935 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5865.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव :
BALU NATHTHU PATIL
BABAN HIRAMAN WAGH
ARUN HIRAMAN WAGH
DIPAK HIRAMAN WAGH
YOGESH HIRAMAN WAGH
LILABAI HIRAMAN WAGH

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/1

भुखंड क्र. : 16

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 880.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 117.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 235.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 117.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 117.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 293.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 88.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1847.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 29.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 293.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 322.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 26064 | 2169.00 | 28233.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18248 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1936 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2875.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17/1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Y.D. PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/1

भुखंड क्र. : 17/1

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 431.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 58.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 115.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 58.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 58.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 144.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 907.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 115.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 129.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15807 | 1036.00 | 16843.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18249 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4472 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2846.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : H.R. KHAN

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/1

भुखंड क्र. : 8

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 427.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 114.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 897.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 114.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 128.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14792 | 1025.00 | 15817.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18250 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4806 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5617.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : T. V. CHAUDHARI
R. P. CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/1
भुखंड क्र. : 4
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 843.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 112.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 225.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 112.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 112.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 281.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 84.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1769.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 28.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 281.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 309.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 31649 | 2078.00 | 33727.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18251 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4807 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2803.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | .5/1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASHANT MADHV DUSANE

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/1

भुखंड क्र. : .5/1

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 420.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 56.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 112.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 56.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 56.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 140.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 42.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 882.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 112.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 126.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14778 | 1008.00 | 15786.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18252 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4808 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2803.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | .5/2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DHAMODAR KAUTIK TAYADE

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/1

भुखंड क्र. : .5/2

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 420.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 56.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 112.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 56.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 56.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 140.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 42.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 882.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 112.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 126.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15387 | 1008.00 | 16395.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18253 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2012 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3710.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SURWADE HILAL SHRAVAN
SURWADE BUDHA SHRAVAN

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/2

भुखंड क्र. : 1

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 557.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 74.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 148.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 74.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 74.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 186.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 56.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1169.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 186.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 205.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11508 | 1374.00 | 12882.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18254 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2013 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3640.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAJAN SRAVAN SURWADE
SURWADE JAGAN SHRAVAN

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/2

भुखंड क्र. : 5

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 546.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 73.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 146.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 73.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 73.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 182.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 55.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1148.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 182.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 200.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20524 | 1348.00 | 21872.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18255 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2014 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3360.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAVITA BHALCHANDRA BHARAAMBE
PANCHASHIL MAGAVARGIY SAH. GRUH
NIRMAN SOCITY PIAMPRALA

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/2

भुखंड क्र. : 6

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 504.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 168.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1057.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 168.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18926 | 1242.00 | 20168.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18256 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2015 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3360.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SURESH SADASHIV TAYDE
RAJENDRA SADASHIV TAYDE

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/2
भुखंड क्र. : 7
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 504.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 168.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1057.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 168.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18926 | 1242.00 | 20168.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18257 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2016 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3430.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MURLIDHAR SADASHIV TAYDE
CHAITRAM BHILA AHIRE

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/2

भुखंड क्र. : 8

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 515.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 137.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 172.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 51.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1082.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 172.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 189.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19352 | 1271.00 | 20623.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18258 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2017 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3360.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRATIBHA VYANKAT JAGATAP
PANCHASHIL MAGASVARGIYA SAH.
GRUH NIRAMAN SOCITY PIMPRALA

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/2

भुखंड क्र. : 10

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 504.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 168.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1057.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 168.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18926 | 1242.00 | 20168.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18259 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2018 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3360.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PANCHASHIL MAGASVARGIYA SAH.
GRUH NIRAMAN SOCITY PIMPRALA

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/2

भुखंड क्र. : 11

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 504.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 168.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1057.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 168.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18926 | 1242.00 | 20168.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18260 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2019 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3430.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUKDEO RUPA SONAWANE
EKANTH ONKAR INGALE

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/2

भुखंड क्र. : 13

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 515.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 137.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 172.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 51.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1082.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 172.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 189.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19352 | 1271.00 | 20623.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18261 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2020 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3360.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 14 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PANCHASHIL MAGASVARGIYA SAH.
GRUH NIRAMAN SOCITY PIMPRALA

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/2

भुखंड क्र. : 14

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 504.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 168.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1057.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 168.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18926 | 1242.00 | 20168.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18262 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2021 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3360.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BUDHA SANDU SONAWANE
PANDU SANDU SONAWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/2

भुखंड क्र. : 15

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 504.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 168.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1057.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 168.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18926 | 1242.00 | 20168.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18263 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2022 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3045.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : LILADHAR SADASHIV TAYDE
SUNIL CHAITRAM AHIRE

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/2

भुखंड क्र. : 16

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 457.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 61.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 122.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 61.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 61.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 152.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 46.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 960.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 15.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 152.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 167.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17167 | 1127.00 | 18294.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18264 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2023 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2970.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VISHAVAS VYANKAT JAGATAP
BHAUSAHEB VYANKAT JAGATAP

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/2

भुखंड क्र. : 17

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 446.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 59.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 119.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 59.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 59.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 149.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 45.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 936.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 15.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 119.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 134.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14482 | 1070.00 | 1552.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18265 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2024 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3360.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 18 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VINAYAK PUNA AHIRE
UTTAM MOTIRAM MORE

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/2
भुखंड क्र. : 18
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 504.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 168.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1057.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 168.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18926 | 1242.00 | 20168.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18266 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2025 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3360.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KASHINATH TANHA NIKAM
SALIM SUBHAN TADVI

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/2

भुखंड क्र. : 19

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 504.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 168.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1057.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 168.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15782 | 1242.00 | 17024.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18267 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2026 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3300.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MURLIDHAR DASHARATHH SHIMPI
SHAKUNTALA PANJABRAO GOTE

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/2

भुखंड क्र. : 21

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 495.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 66.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 132.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 66.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 66.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 165.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1040.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 165.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 182.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18599 | 1222.00 | 19821.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18268 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2027 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3600.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 57/1/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 22 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MURLIDHAR RANG DAMBRE
LILADHAR RAMDAS DAMBRE

सि.स.नं. / गट नं. : 57/1/2

भुखंड क्र. : 22

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 540.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 72.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 144.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 72.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 72.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 180.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 54.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1134.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 180.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 198.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20284 | 1332.00 | 21616.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18269 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2779 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4014.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 106 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BALKRISHNA VISHWANATH PATIL
SAU.PRATIBHA BALKRISHNA PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 60
भुखंड क्र. : 106
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 602.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 80.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 161.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 80.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 80.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 201.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 60.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1264.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 20.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 201.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 221.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14967 | 1485.00 | 16452.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18270 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2859 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : JANARDAN GOVINDA SARODE
(MORESHWAR PUNDLIK MARKAND)

सि.स.नं. / गट नं. : 60
भुखंड क्र. : 13
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 29658 | 2541.00 | 32199.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18271 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2971 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4013.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 157PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY VAMAN DHANDORE
PARAKASH SOPAN VARADE

सि.स.नं. / गट नं. : 60
भुखंड क्र. : 157PAI
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 602.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 80.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 161.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 80.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 80.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 201.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 60.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1264.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 20.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 201.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 221.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19594 | 1485.00 | 21079.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18272 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3105 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8027.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 110 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MADHUKAR TUKARAM TALELE

सि.स.नं. / गट नं. : 60
 भुखंड क्र. : 110
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1204.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 161.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 321.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 161.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 161.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 401.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 120.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2529.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 40.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 482.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 522.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 21014 | 3051.00 | 24065.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18273 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3128 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 113 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : GOVARDHAN YASHAVTRAO PANSETH

सि.स.नं. / गट नं. : 60
 भुखंड क्र. : 113
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 22883 | 2541.00 | 25424.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18274 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3196 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8361.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 83 PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MADHUKAR SHRAWAN PATIL
SHRI RAVINDRA RAJARAM SONAWANE & ETC.

सि.स.नं. / गट नं. : 60
भुखंड क्र. : 83 PAI
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1254.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 167.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 334.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 167.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 167.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 418.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 125.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2632.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 42.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 502.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 544.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 45982 | 3176.00 | 49158.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18275 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3200 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3344.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 22/1. |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DEVIDAS BHEDAR BENDAIE

सि.स.नं. / गट नं. : 60
भुखंड क्र. : 22/1.
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 502.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 167.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1054.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 167.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 184.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17508 | 1238.00 | 18746.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18276 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3317 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3344.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 36 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MUSHTAK IBRAHIM KHATIK

सि.स.नं. / गट नं. : 60

भुखंड क्र. : 36

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 502.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 167.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1054.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 167.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 184.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17926 | 1238.00 | 19164.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18277 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3319 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 67 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DATTATRAY SHENFADU PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 60

भुखंड क्र. : 67

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 35714 | 2541.00 | 38255.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18278 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3496 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAN JAY VANILAL BHAVSAR

सि.स.नं. / गट नं. : 60
 भुखंड क्र. : 16
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 35119 | 2541.00 | 37660.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18279 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3502 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 16968.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 42, 43 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAVINDRA RATNAKAR MISTARI
RAJENDRA RATNAKAR MISTARI OTHER'S

सि.स.नं. / गट नं. : 60
भुखंड क्र. : 42, 43
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2545.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 339.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 679.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 339.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 339.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 848.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 255.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 5344.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 85.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1018.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1103.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 91185 | 6447.00 | 97632.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18280 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3506 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8318.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 75 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHRINIVAS MURHA ZOPE
SURESH MURHA IOPE OTH ERS : - 2

सि.स.नं. / गट नं. : 60
भुखंड क्र. : 75
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1248.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 166.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 333.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 166.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 166.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 416.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 125.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2620.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 42.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 499.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 541.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15973 | 3161.00 | 19134.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18281 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3672 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3320.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 88 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DEVIDAS POPAT KHAIRNAR

सि.स.नं. / गट नं. : 60

भुखंड क्र. : 88

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 498.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 66.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 133.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 66.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 66.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 166.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1045.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 166.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 183.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17786 | 1228.00 | 19014.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18282 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3673 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3344.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 88 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DEVIDAS POPAT KHAIRNAR

सि.स.नं. / गट नं. : 60

भुखंड क्र. : 88

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 502.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 167.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1054.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 167.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 184.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18623 | 1238.00 | 19861.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18283 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3714 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 16870.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 42,43 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAVINDRA RATNAPPA MITKARI
RAJENDRA RATNAPPA MITKARI

सि.स.नं. / गट नं. : 60
भुखंड क्र. : 42,43
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 2531.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 337.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 675.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 337.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 337.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 844.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 253.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 5314.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 84.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1012.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1096.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 94168 | 6410.00 | 100578.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18284 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3807 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5977.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 117 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : V.T.TALELE

सि.स.नं. / गट नं. : 60
भुखंड क्र. : 117
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 897.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 120.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 239.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 120.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 120.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 299.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 90.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1885.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 30.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 299.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 329.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 33023 | 2214.00 | 35237.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18285 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3904 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 25 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH KADU PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 60
भुखंड क्र. : 25
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37625 | 2541.00 | 40166.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18286 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3922 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 28 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : NITIN VISHNU BARDE

सि.स.नं. / गट नं. : 60

भुखंड क्र. : 28

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37625 | 2541.00 | 40166.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18287 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3927 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7625.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 76 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. USHA DEVERAM CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 60

भुखंड क्र. : 76

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1144.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 153.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 305.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 153.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 153.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 381.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 114.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2403.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 38.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 458.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 496.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 42905 | 2899.00 | 45804.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18288 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3928 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8829.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 77 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP BHAGVANDAS GUJRATHI
AND OTHERS

सि.स.नं. / गट नं. : 60
भुखंड क्र. : 77
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1324.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 177.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 353.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 177.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 177.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 441.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 132.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2781.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 44.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 530.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 574.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 49665 | 3355.00 | 53020.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18289 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3930 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4815.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 70 PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU.KALAVATI PNDHARINATH GWHALE AND OTHERS

सि.स.नं. / गट नं. : 60
भुखंड क्र. : 70 PAI
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 722.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 96.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 193.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 96.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 96.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 241.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 72.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1516.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 24.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 241.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 265.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 26413 | 1781.00 | 28194.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18290 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3938 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2352.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 27 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KISHOR MAHADEV GOSAVI
ARUN NARAYAN BOROLE

सि.स.नं. / गट नं. : 60
भुखंड क्र. : 27
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 353.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 47.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 94.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 47.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 47.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 118.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 35.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 741.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 12.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 94.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 106.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 12577 | 847.00 | 13424.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18291 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3940 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2496.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 134 PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUBHASH JAGNNATH YEVALE

सि.स.नं. / गट नं. : 60
 भुखंड क्र. : 134 PAI
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 374.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 50.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 100.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 50.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 50.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 125.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 37.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 786.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 12.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 100.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 112.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11887 | 898.00 | 12785.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18292 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3973 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3344.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 119 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : NARENDRA GANGARAM SHIRSATH

सि.स.नं. / गट नं. : 60

भुखंड क्र. : 119

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 502.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 167.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1054.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 167.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 184.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18070 | 1238.00 | 19308.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18293 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3988 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3342.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 88 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANGAL BHAGAVAT PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 60

भुखंड क्र. : 88

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 501.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 167.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1053.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 167.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 184.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18334 | 1237.00 | 19571.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18294 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3995 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1334.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 82 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUNIL TUKARAM BADHE

सि.स.नं. / गट नं. : 60

भुखंड क्र. : 82

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 200.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 53.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 67.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 421.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 53.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 60.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6482 | 481.00 | 6963.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18295 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4024 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3697.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 139+146/1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ABHAYANKAR KEJI SHAH

सि.स.नं. / गट नं. : 60
भुखंड क्र. : 139+146/1
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 555.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 74.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 148.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 74.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 74.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 185.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 55.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1165.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 185.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 203.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20081 | 1368.00 | 21449.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18296 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4036 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8037.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 160 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PANDHARINATH DHONDU CHAUDHRI

सि.स.नं. / गट नं. : 60

भुखंड क्र. : 160

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1206.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 161.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 321.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 161.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 161.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 402.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 121.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2533.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 40.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 482.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 522.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41653 | 3055.00 | 44708.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18297 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4167 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2496.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 134 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : S. J. YEVALE

सि.स.नं. / गट नं. : 60
भुखंड क्र. : 134
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 374.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 50.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 100.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 50.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 50.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 125.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 37.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 786.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 12.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 100.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 112.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13442 | 898.00 | 14340.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18298 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4174 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1338.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAYVANT VINAYAK FAGNJIKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 60
 भुखंड क्र. : 13PAI
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 201.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 54.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 67.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 423.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 54.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 61.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7171 | 484.00 | 7655.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18299 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4265 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2006.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 127PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAHEBRAO SANTOSH MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 60
भुखंड क्र. : 127PAI
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 301.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 40.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 80.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 40.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 40.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 100.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 631.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 80.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 90.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10627 | 721.00 | 11348.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18300 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4280 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4014.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 100A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU.MANGALA SAHEBRAO MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 60
भुखंड क्र. : 100A
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 602.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 80.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 161.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 80.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 80.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 201.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 60.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1264.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 20.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 201.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 221.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 21854 | 1485.00 | 23339.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18301 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4313 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4680.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 127 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. UJWALABAI JANARDHAN PATIL
AND OTHERS 2

सि.स.नं. / गट नं. : 60
भुखंड क्र. : 127
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 702.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 94.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 187.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 94.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 94.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 234.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 70.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1475.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 23.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 234.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 257.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 33082 | 1732.00 | 34814.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18302 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4335 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2544.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 70 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. KALAVATI PANDHRINATH GAWALE
AND OTHERS

सि.स.नं. / गट नं. : 60

भुखंड क्र. : 70

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 382.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 51.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 102.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 51.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 51.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 127.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 38.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 802.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 13.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 102.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 115.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3668 | 917.00 | 4585.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18303 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4338 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2448.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 139+146/2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SARANDHAR BHIKAJI PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 60
भुखंड क्र. : 139+146/2
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 367.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 49.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 98.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 49.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 49.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 122.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 37.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 771.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 12.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 98.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 110.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 12986 | 881.00 | 13867.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18304 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4351 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3344.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 92 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : TRAMBAK RAMKRUSHANA PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 60

भुखंड क्र. : 92

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 502.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 167.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1054.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 167.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 184.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18245 | 1238.00 | 19483.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18305 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4384 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4018.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 153B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : NARESH P. GADE

सि.स.नं. / गट नं. : 60
भुखंड क्र. : 153B
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 603.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 80.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 161.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 80.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 80.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 201.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 60.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1265.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 20.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 201.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 221.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 21874 | 1486.00 | 23360.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18306 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4452 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3344.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 88PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DEVIDAS POPAT KHAIRNAR

सि.स.नं. / गट नं. : 60
 भुखंड क्र. : 88PAI
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 502.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 167.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1054.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 167.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 184.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17787 | 1238.00 | 19025.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18307 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4527 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4013.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 158 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. MANGALA PRABHAKAR NARKHEDE

सि.स.नं. / गट नं. : 60

भुखंड क्र. : 158

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 602.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 80.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 161.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 80.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 80.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 201.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 60.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1264.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 20.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 201.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 221.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 21353 | 1485.00 | 22838.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18308 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4537 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6689.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 60 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 129 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJENDRA PUNDLIK SONWANE
AND OTHERS 3

सि.स.नं. / गट नं. : 60
भुखंड क्र. : 129
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1003.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 334.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2107.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 401.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 434.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 35953 | 2541.00 | 38494.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18309 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 900 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6722.16 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHANTABAI DAGDU SONAWANE
PARSHURAM JAGANNATH BHAVSAR
GURUDATT CHAMPALAL DHAKAD

सि.स.नं. / गट नं. : 61/1A
भुखंड क्र. : 11
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1008.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 269.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 336.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 101.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2116.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 403.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 437.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38360 | 2553.00 | 40913.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18310 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 901 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7753.20 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. VIMAL ALHAD KOLAMBE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/1A

भुखंड क्र. : 12

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1163.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 155.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 310.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 155.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 155.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 388.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 116.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2442.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 39.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 465.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 504.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13760 | 2946.00 | 16706.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18311 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 902 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6960.24 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VINAYAK BADGU NEMADE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/1A
 भुखंड क्र. : 15
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1044.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 139.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 278.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 139.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 139.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 348.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 104.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2191.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 418.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 453.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 23219 | 2644.00 | 25863.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18312 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 903 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6722.16 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUBHASH TANGA PATIL
SAU. RATNAPRABHA PREMRAJ CHAUDHAIRI
SAU. VIJAY SUBHASH PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 61/1A
भुखंड क्र. : 10
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 1008.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 269.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 336.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 101.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2116.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 403.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 437.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 31045 | 2553.00 | 33598.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18313 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 904 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6744.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIKRAM HARICHAND PATIL
SHALIGRAM HARICHAND PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 61/1A
भुखंड क्र. : 9
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1012.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 135.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 270.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 135.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 135.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 337.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 101.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2125.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 405.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 439.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 30467 | 2564.00 | 33031.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18314 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 905 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6960.24 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MURLIDHAR SHRIPAT KOLHE
BHASKAR JAYRAM RADE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/1A
भुखंड क्र. : 16
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1044.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 139.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 278.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 139.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 139.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 348.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 104.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2191.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 418.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 453.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38143 | 2644.00 | 40787.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18315 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 906 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7483.20 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : NAMDEO TULSHIRAM RANE
CHANDRAKANT TULSHIRAM RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/1A
भुखंड क्र. : 19
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1122.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 150.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 299.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 150.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 150.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 374.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 112.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2357.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 37.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 449.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 486.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 28948 | 2843.00 | 31791.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18316 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 907 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6741.60 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : HUKUMCHAND SHAMRAO PATIL
JAYPRAKASH YADAVRAO BHOITE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/1A
भुखंड क्र. : 3
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1011.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 135.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 270.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 135.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 135.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 337.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2124.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 404.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 438.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 30741 | 2562.00 | 33303.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18317 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 908 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8728.80 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 20 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJNI DINKAR WARHADE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/1A
 भुखंड क्र. : 20
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1309.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 175.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 349.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 175.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 175.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 436.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 131.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2750.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 44.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 524.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 568.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 49837 | 3318.00 | 53155.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18318 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 909 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8527.20 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DEVIDAS NAMDEO CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 61/1A

भुखंड क्र. : 21

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1279.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 171.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 341.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 171.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 171.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 426.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 128.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2687.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 43.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 512.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 555.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 49375 | 3242.00 | 52617.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18319 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 910 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8325.60 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 22 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : LAXMAN KALU PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 61/1A

भुखंड क्र. : 22

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1249.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 167.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 333.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 167.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 167.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 416.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 125.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2624.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 42.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 500.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 542.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 47547 | 3166.00 | 50713.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18320 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 911 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 11198.40 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SADASHIV BABURAO BHAVSAR
MURLIDHAR NAMDEO PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 61/1A
भुखंड क्र. : 23
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1680.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 224.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 448.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 224.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 224.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 560.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 168.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3528.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 56.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 672.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 728.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 63934 | 4256.00 | 68190.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18321 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3043 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3532.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MURLIDHAR SHRIPAT KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/1A

भुखंड क्र. : 16

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 530.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 71.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 141.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 71.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 71.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 177.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 53.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1114.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 177.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 195.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15407 | 1309.00 | 16716.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील
स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18322 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3447 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3485.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. HIRABAI RAMESH SAVANT

सि.स.नं. / गट नं. : 61/1A
भुखंड क्र. : 13
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 523.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 70.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 70.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 70.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 174.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1098.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 174.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 191.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13140 | 1289.00 | 14429.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18323 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3458 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3424.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHASKAR JAYRAM RADE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/1A
 भुखंड क्र. : 16
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 514.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 68.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 137.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 68.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 68.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 171.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 51.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1077.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 171.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 188.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19055 | 1265.00 | 20320.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18324 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3574 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3531.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MURLIDHAR SHRIPAT KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/1A

भुखंड क्र. : 16

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 530.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 71.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 141.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 71.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 71.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 177.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 53.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1114.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 177.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 195.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19683 | 1309.00 | 20992.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18325 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3723 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3370.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJES RAMCHANDRA CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 61/1A

भुखंड क्र. : 7

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 506.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 135.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 169.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 51.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1062.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 169.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 186.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17235 | 1248.00 | 18483.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18326 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3724 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3370.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJESH RAMCHANDRA CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 61/1A

भुखंड क्र. : 7

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 506.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 135.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 169.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 51.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1062.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 169.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 186.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18780 | 1248.00 | 20028.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18327 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3836 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3370.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PANDURANG RAMCHANDRA WANI
JAGDISH PANDURANG WANI
7

सि.स.नं. / गट नं. : 61/1A
भुखंड क्र. : 7
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 506.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 135.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 169.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 51.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1062.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 169.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 186.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18499 | 1248.00 | 19747.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18328 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3699 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6960.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : UMAKANT DINKAR BANGALE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+1

भुखंड क्र. : 19

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1044.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 139.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 278.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 139.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 139.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 348.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 104.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2191.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 418.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 453.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 36536 | 2644.00 | 39180.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18329 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3475 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3618.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHANKAR RAJDHAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3

भुखंड क्र. : 7

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 543.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 72.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 145.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 72.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 72.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 181.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 54.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1139.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 181.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 199.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18936 | 1338.00 | 20274.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18330 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 69 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9961.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 1
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1494.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 199.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 398.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 199.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 199.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 498.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 149.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3136.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 50.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 598.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 648.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37601 | 3784.00 | 41385.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18331 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 70 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7128.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. PUSHPA BHANUDAS BARHATE
BHANUDAS RAMDAS BARHATE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 2

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1069.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 143.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 285.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 143.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 143.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 356.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 107.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2246.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 428.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 464.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 40705 | 2710.00 | 43415.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18332 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 71 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7128.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUKA SADU PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
 भुखंड क्र. : 3
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1069.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 143.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 285.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 143.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 143.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 356.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 107.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2246.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 428.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 464.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 40705 | 2710.00 | 43415.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18333 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 72 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7128.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VANSANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 4

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1069.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 143.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 285.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 143.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 143.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 356.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 107.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2246.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 428.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 464.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 33535 | 2710.00 | 36245.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18334 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 73 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7128.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VANSANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 5

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1069.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 143.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 285.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 143.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 143.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 356.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 107.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2246.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 428.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 464.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 40584 | 2710.00 | 43294.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18335 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 74 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7128.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VANSANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 6

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1069.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 143.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 285.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 143.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 143.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 356.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 107.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2246.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 428.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 464.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 34053 | 2710.00 | 36763.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18336 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 75 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7236.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VANSANT PANDITRAO KOLHE
SHANKAR RAJDHAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 7
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 145.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 289.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 145.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 145.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 362.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 109.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2280.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 434.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 470.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41310 | 2750.00 | 44060.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18337 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 76 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7104.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 8

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1066.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 142.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 284.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 142.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 142.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 355.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 107.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2238.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 426.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 462.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 40562 | 2700.00 | 43262.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18338 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 77 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6804.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 9
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1021.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 136.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 272.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 136.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 136.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 340.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 102.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2143.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 408.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 442.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 36745 | 2585.00 | 39330.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18339 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 78 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6804.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
 भुखंड क्र. : 10
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1021.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 136.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 272.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 136.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 136.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 340.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 102.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2143.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 408.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 442.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38836 | 2585.00 | 41421.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18340 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 79 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7046.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VANSANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 11

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1057.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 141.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 282.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 141.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 141.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 352.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 106.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2220.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 423.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 458.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 40231 | 2678.00 | 42909.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18341 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 80 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6960.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VANSANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 12

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1044.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 139.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 278.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 139.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 139.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 348.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 104.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2191.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 418.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 453.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 39727 | 2644.00 | 42371.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18342 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 81 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6720.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VANSANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 13

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1008.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 269.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 336.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 101.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2116.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 403.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 437.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38360 | 2553.00 | 40913.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18343 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 82 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6720.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 14 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUNIL HARI RANE
KAMLA KAR CHINTAMAN KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 14

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1008.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 269.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 336.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 101.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2116.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 403.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 437.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38360 | 2553.00 | 40913.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18344 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 83 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7140.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : LEMCHAND BALIRAM CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 15

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1071.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 143.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 286.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 143.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 143.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 357.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 107.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2250.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 428.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 464.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 35903 | 2714.00 | 38617.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18345 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 84 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7500.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VISHAL ASHOK RANE
APAK MANDODARI NAMDEV RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 16
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1125.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 150.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 300.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 150.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 150.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 375.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 113.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2363.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 38.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 450.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 488.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 42822 | 2851.00 | 45673.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18346 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 85 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6720.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VISHAL ASHOK RANE
APAK MANDODARI NAMDEV RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 17
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1008.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 269.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 336.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 101.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2116.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 403.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 437.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38363 | 2553.00 | 40916.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18347 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 86 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6720.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 18 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 18

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1008.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 269.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 336.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 101.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2116.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 403.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 437.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38363 | 2553.00 | 40916.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18348 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 87 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6960.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : UMAKANT DINKAR BHANGALE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 19

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1044.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 139.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 278.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 139.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 139.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 348.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 104.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2191.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 418.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 453.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 39768 | 2644.00 | 42412.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18349 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 88 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7068.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 20 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRAKANT PURUSHOTTAM CHAUDHARI
ARVIND BHAGVAT DHAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 20
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1060.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 141.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 283.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 141.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 141.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 353.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 106.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2225.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 424.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 459.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41373 | 2684.00 | 44057.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18350 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 89 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7068.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : LILADHAR DAGDU DHAKE
CHANDRAKANT BHASKAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 21
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1060.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 141.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 283.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 141.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 141.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 353.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 106.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2225.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 424.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 459.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41373 | 2684.00 | 44057.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18351 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 90 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7410.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 22 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DATTATRAY MOTIRAM VARADE
ANIL BHUTAJI VAGH

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 22
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1112.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 148.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 296.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 148.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 148.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 371.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 111.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2334.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 37.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 445.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 482.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 42307 | 2816.00 | 45123.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18352 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 91 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7236.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ASHOK CHAVDAS NEHTE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
 भुखंड क्र. : 23
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 145.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 289.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 145.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 145.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 362.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 109.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2280.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 434.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 470.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41309 | 2750.00 | 44059.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18353 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 92 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7236.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 24 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP BABURAO RANE
GALU SOPAN PAITL

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 24
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 145.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 289.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 145.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 145.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 362.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 109.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2280.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 434.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 470.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 31313 | 2750.00 | 34063.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18354 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 93 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7236.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 25 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VANSANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
 भुखंड क्र. : 25
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 145.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 289.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 145.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 145.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 362.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 109.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2280.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 434.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 470.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 32201 | 2750.00 | 34951.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18355 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 94 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7236.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 26 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VANSANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
 भुखंड क्र. : 26
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 145.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 289.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 145.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 145.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 362.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 109.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2280.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 434.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 470.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41309 | 2750.00 | 44059.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18356 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 95 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7236.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 27 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHAGVAN DASHARATH CHAUDHARI
SAU. KAKLPANA BABULAL CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 27
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 145.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 289.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 145.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 145.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 362.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 109.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2280.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 434.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 470.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 23805 | 2750.00 | 26555.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18357 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 96 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7236.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 28 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDITRAO KOLHE
SUMAN NARAYAN WAYKOLE
SURESH DIGAMBAR DHAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 28
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 145.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 289.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 145.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 145.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 362.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 109.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2280.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 434.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 470.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 23403 | 2750.00 | 26153.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18358 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 97 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7128.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 29 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGTAP RAMDAS KALE
PRAMOD BHASKAR LOKHANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 29
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1069.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 143.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 285.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 143.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 143.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 356.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 107.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2246.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 428.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 464.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 40702 | 2710.00 | 43412.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18359 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 98 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12690.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 30 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 30

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1904.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 254.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 508.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 254.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 254.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 635.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3999.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 63.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 761.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 824.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 72447 | 4823.00 | 77270.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18360 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 99 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12060.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 31 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 31

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1809.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 241.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 482.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 241.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 241.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 603.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 181.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3798.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 60.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 724.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 784.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 71841 | 4582.00 | 76423.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18361 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 100 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12060.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 32 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. RAJANI VASANT SINGNURKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 32

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1809.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 241.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 482.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 241.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 241.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 603.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 181.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3798.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 60.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 724.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 784.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 71841 | 4582.00 | 76423.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18362 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 101 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12060.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VANSANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 33

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1809.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 241.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 482.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 241.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 241.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 603.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 181.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3798.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 60.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 724.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 784.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 71841 | 4582.00 | 76423.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18363 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 102 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12060.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 34 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 34

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1809.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 241.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 482.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 241.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 241.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 603.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 181.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3798.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 60.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 724.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 784.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 59517 | 4582.00 | 64099.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18364 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 103 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12060.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 35 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 35

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1809.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 241.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 482.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 241.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 241.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 603.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 181.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3798.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 60.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 724.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 784.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 59517 | 4582.00 | 64099.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18365 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 104 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 11880.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 36 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ANIL NARAYAN KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 36

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1782.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 238.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 475.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 238.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 238.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 594.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 178.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3743.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 59.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 713.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 772.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 67827 | 4515.00 | 72342.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18366 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 934 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9961.44 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 1

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1494.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 199.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 398.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 199.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 199.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 498.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 149.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3136.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 50.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 598.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 648.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 26255 | 3784.00 | 30039.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18367 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 935 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7128.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. PUSHPA BHANUDAS BARHATE
BHANUDAS RAMDAS BARHATE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 2

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1069.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 143.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 285.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 143.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 143.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 356.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 107.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2246.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 428.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 464.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10840 | 2710.00 | 13550.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18368 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 936 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7128.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUKA SADU PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
 भुखंड क्र. : 3
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1069.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 143.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 285.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 143.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 143.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 356.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 107.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2246.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 428.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 464.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37995 | 2710.00 | 40705.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18369 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 937 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7128.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 4

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1069.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 143.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 285.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 143.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 143.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 356.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 107.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2246.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 428.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 464.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 25640 | 2710.00 | 28350.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18370 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 938 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7128.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 5

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1069.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 143.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 285.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 143.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 143.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 356.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 107.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2246.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 428.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 464.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 40705 | 2710.00 | 43415.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18371 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 939 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7128.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
 भुखंड क्र. : 6
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1069.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 143.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 285.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 143.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 143.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 356.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 107.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2246.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 428.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 464.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 30583 | 2710.00 | 33293.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18372 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 940 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7236.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAO KOLHE
SHANKARA RAJDHAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 7
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 145.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 289.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 145.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 145.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 362.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 109.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2280.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 434.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 470.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 25420 | 2750.00 | 28170.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18373 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 941 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6864.72 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
 भुखंड क्र. : 8
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1030.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 137.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 275.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 137.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 137.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 343.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 103.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2162.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 412.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 446.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 39186 | 2608.00 | 41794.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18374 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 942 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6804.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
 भुखंड क्र. : 9
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1021.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 136.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 272.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 136.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 136.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 340.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 102.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2143.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 408.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 442.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 31119 | 2585.00 | 33704.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18375 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 943 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6804.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 10

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1021.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 136.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 272.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 136.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 136.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 340.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 102.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2143.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 408.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 442.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20846 | 2585.00 | 23431.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18376 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 944 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6806.88 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 11

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1021.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 136.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 272.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 136.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 136.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 340.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 102.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2143.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 408.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 442.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15060 | 2585.00 | 17645.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18377 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 945 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6960.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
 भुखंड क्र. : 12
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1044.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 139.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 278.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 139.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 139.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 348.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 104.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2191.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 418.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 453.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15950 | 2644.00 | 18594.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18378 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 946 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6720.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 13

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1008.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 269.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 336.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 101.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2116.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 403.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 437.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15005 | 2553.00 | 17558.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18379 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 947 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6720.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 14 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUNIL HARI RANE
KAMALAKAR CHINTAMAN KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 14
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1008.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 269.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 336.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 101.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2116.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 403.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 437.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 35280 | 2553.00 | 37833.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18380 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 948 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7140.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : LEMCHAND BALIRAM CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 15

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1071.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 143.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 286.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 143.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 143.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 357.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 107.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2250.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 428.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 464.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38366 | 2714.00 | 41080.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18381 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 949 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7500.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VISHAL ASHOK RANE
NAMDEO TULSHIRAM RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 16
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1125.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 150.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 300.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 150.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 150.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 375.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 113.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2363.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 38.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 450.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 488.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 40034 | 2851.00 | 42885.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18382 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 950 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6720.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VISHAL ASHOK RANE
SAU. MANDODARI NAMDEO RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 17
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1008.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 269.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 336.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 101.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2116.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 403.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 437.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38360 | 2553.00 | 40913.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18383 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 951 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6720.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 18 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 18

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1008.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 269.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 336.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 101.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2116.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 403.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 437.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 22292 | 2553.00 | 24845.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18384 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 952 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6960.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : UMAKANT DINKAR BANGALE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 19

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1044.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 139.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 278.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 139.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 139.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 348.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 104.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2191.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 418.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 453.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 39727 | 2644.00 | 42371.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18385 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 953 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7068.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 20 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRAKANT PURUSHOTTAM CHAUDHARI
ARVIND BHAGWAT DHAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 20

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1060.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 141.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 283.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 141.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 141.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 353.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 106.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2225.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 424.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 459.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 33405 | 2684.00 | 36089.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18386 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 954 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7068.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : LILADHAR DAGDU DHAKE
CHANDRAKANT BHASKAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 21
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1060.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 141.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 283.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 141.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 141.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 353.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 106.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2225.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 424.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 459.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 31077 | 2684.00 | 33761.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18387 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 955 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7410.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 22 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DATTRTRY MOTIRAM WARADE
ANILKUMAR BHUNAJI WAGH

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 22
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1112.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 148.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 296.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 148.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 148.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 371.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 111.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2334.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 37.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 445.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 482.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41072 | 2816.00 | 43888.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18388 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 956 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7236.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ASHOK CHAVDAS NEHETE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
 भुखंड क्र. : 23
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 145.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 289.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 145.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 145.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 362.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 109.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2280.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 434.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 470.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 39801 | 2750.00 | 42551.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18389 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 957 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7236.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 24 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP BABURAO RANE
GALU SOPAN PAITL

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 24
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 145.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 289.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 145.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 145.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 362.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 109.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2280.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 434.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 470.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37992 | 2750.00 | 40742.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18390 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 958 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7236.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 25 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 25
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 145.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 289.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 145.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 145.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 362.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 109.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2280.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 434.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 470.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 21942 | 2750.00 | 24692.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18391 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 959 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7236.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 26 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
 भुखंड क्र. : 26
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 145.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 289.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 145.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 145.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 362.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 109.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2280.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 434.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 470.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 32609 | 2750.00 | 35359.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18392 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 960 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7236.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 27 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHAGWAN DASHARATH CHAUDHARI
SAU. KALAPANA BABULAL CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 27
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 145.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 289.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 145.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 145.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 362.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 109.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2280.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 434.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 470.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37992 | 2750.00 | 40742.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18393 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 961 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7236.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 28 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 28

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 145.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 289.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 145.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 145.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 362.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 109.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2280.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 434.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 470.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 23403 | 2750.00 | 26153.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18394 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 962 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7128.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 29 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGANNATH RAMDAS KALE
PRAMOD BHASKAR LOKHANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 29
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1069.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 143.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 285.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 143.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 143.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 356.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 107.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2246.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 428.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 464.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 40705 | 2710.00 | 43415.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18395 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 963 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12690.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 30 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 30

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1904.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 254.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 508.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 254.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 254.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 635.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3999.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 63.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 761.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 824.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 45424 | 4823.00 | 50247.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18396 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 964 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12060.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 31 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 31

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1809.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 241.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 482.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 241.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 241.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 603.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 181.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3798.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 60.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 724.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 784.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 43157 | 4582.00 | 47739.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18397 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 965 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12060.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 32 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. RAJNI VASANT SIGARKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 32

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1809.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 241.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 482.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 241.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 241.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 603.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 181.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3798.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 60.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 724.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 784.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 67836 | 4582.00 | 72418.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18398 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 966 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12060.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 33

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1809.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 241.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 482.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 241.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 241.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 603.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 181.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3798.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 60.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 724.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 784.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 56084 | 4582.00 | 60666.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18399 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 967 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12060.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 34 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 34

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1809.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 241.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 482.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 241.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 241.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 603.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 181.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3798.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 60.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 724.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 784.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 28484 | 4582.00 | 33066.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18400 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 968 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12060.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 35 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 35

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1809.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 241.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 482.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 241.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 241.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 603.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 181.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3798.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 60.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 724.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 784.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 61067 | 4582.00 | 65649.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18401 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 969 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 11880.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 36 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ANIL NARAYAN KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
 भुखंड क्र. : 36
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1782.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 238.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 475.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 238.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 238.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 594.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 178.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3743.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 59.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 713.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 772.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 39417 | 4515.00 | 43932.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18402 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2743 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3705.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 22PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DATTATRAYA MOTIRAM VARADE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 22PAI
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 556.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 74.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 148.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 74.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 74.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 185.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 56.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1167.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 185.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 204.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19417 | 1371.00 | 20788.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18403 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2752 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12048.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 32 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU.RAJANI VASANT SIGANUKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 32

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1807.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 241.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 482.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 241.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 241.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 602.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 181.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3795.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 60.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 723.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 783.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 67772 | 4578.00 | 72350.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18404 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3629 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4114.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 24 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP BABURAO RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 24

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 617.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 82.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 165.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 82.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 82.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 206.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 62.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1296.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 21.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 206.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 227.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 22924 | 1523.00 | 24447.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18405 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4819 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9960.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDITARAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 1

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1494.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 199.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 398.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 199.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 199.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 498.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 149.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3136.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 50.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 598.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 648.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 56831 | 3784.00 | 60615.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18406 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4820 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7236.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITAO KOLHE
SHANKA RAJDHAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 7
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 145.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 289.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 145.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 145.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 362.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 109.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2280.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 434.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 470.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41319 | 2750.00 | 44069.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18407 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4821 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6871.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 8

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1031.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 137.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 275.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 137.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 137.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 344.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 103.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2164.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 412.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 446.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 39216 | 2610.00 | 41826.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18408 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4822 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6804.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
 भुखंड क्र. : 9
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1021.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 136.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 272.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 136.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 136.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 340.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 102.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2143.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 408.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 442.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38841 | 2585.00 | 41426.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18409 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4823 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6804.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 10

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1021.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 136.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 272.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 136.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 136.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 340.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 102.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2143.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 408.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 442.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38841 | 2585.00 | 41426.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18410 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4824 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7046.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
 भुखंड क्र. : 11
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1057.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 141.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 282.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 141.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 141.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 352.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 106.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2220.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 423.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 458.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 40285 | 2678.00 | 42963.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18411 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4825 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6960.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 12

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1044.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 139.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 278.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 139.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 139.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 348.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 104.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2191.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 418.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 453.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 39726 | 2644.00 | 42370.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18412 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4826 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6720.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 13

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1008.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 269.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 336.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 101.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2116.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 403.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 437.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38356 | 2553.00 | 40909.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18413 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4827 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6720.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 14 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUNIL HARI RANE
KAMALAKAR CHINTAMAN KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 14
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1008.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 269.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 336.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 101.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2116.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 403.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 437.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38269 | 2553.00 | 40822.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18414 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4828 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7140.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : LEMCHAND BALIRAM CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 15

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1071.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 143.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 286.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 143.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 143.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 357.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 107.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2250.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 428.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 464.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 40767 | 2714.00 | 43481.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18415 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4829 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7500.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VISAHL ASHOK RANE
APAK NAMDEO TULSHIRAM

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 16
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1125.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 150.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 300.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 150.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 150.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 375.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 113.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2363.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 38.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 450.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 488.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 26375 | 2851.00 | 29226.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18416 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4830 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6720.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VISHAL ASHOK RANE
APAK MANDHUDHARI TULSHIRAM

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 17
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1008.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 269.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 336.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 101.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2116.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 403.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 437.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38360 | 2553.00 | 40913.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18417 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4831 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6720.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 18 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASHANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 18

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1008.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 269.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 336.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 101.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2116.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 403.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 437.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38360 | 2553.00 | 40913.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18418 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4832 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6960.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : UMAKANT DINKAR BHAGALE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 19

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1044.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 139.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 278.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 139.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 139.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 348.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 104.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2191.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 418.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 453.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 39726 | 2644.00 | 42370.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18419 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4833 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7068.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 20 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHNADRAKANT PURUSHOTTAM CHAUDHARI
ARVIND BHAGAVT DHAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 20

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1060.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 141.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 283.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 141.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 141.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 353.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 106.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2225.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 424.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 459.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 40343 | 2684.00 | 43027.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18420 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4834 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7068.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : LILADHAR DAGADU DHAKE
CHANDRAKANT BHASKAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 21
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1060.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 141.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 283.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 141.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 141.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 353.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 106.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2225.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 424.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 459.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38723 | 2684.00 | 41407.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18421 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4835 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7410.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 22 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DATTARYA MOTIRAM WARADE
ANILKUMAR BHUTAJI WAGH

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 22

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1112.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 148.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 296.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 148.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 148.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 371.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 111.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2334.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 37.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 445.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 482.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41841 | 2816.00 | 44657.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18422 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4836 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7236.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ASHOK CHAWADAS NEHTE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
 भुखंड क्र. : 23
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 145.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 289.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 145.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 145.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 362.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 109.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2280.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 434.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 470.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41320 | 2750.00 | 44070.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18423 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4837 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7236.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 24 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP BABURAO RANE
GANU SOPAN PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 24
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 145.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 289.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 145.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 145.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 362.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 109.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2280.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 434.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 470.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41320 | 2750.00 | 44070.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18424 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4838 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7236.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 25 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASHANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 25

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 145.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 289.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 145.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 145.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 362.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 109.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2280.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 434.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 470.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41320 | 2750.00 | 44070.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18425 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4839 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7236.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 26 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASHANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 26

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 145.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 289.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 145.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 145.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 362.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 109.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2280.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 434.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 470.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41323 | 2750.00 | 44073.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18426 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4840 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7236.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 27 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHAGAWAN DASHRATH CHAUDHARI
SAU. KALPANA BABULAL CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 27
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 145.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 289.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 145.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 145.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 362.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 109.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2280.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 434.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 470.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41323 | 2750.00 | 44073.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18427 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4841 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7236.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 28 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 28

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1085.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 145.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 289.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 145.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 145.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 362.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 109.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2280.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 434.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 470.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41323 | 2750.00 | 44073.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18428 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4842 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7128.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 29 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGANNATH RAMDAS KALE
PRMOD BHASKAR LOKHANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
भुखंड क्र. : 29
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1069.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 143.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 285.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 143.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 143.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 356.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 107.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2246.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 428.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 464.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 40705 | 2710.00 | 43415.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18429 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4843 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12690.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 30 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILP PANDIRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
 भुखंड क्र. : 30
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1904.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 254.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 508.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 254.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 254.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 635.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3999.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 63.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 761.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 824.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 72448 | 4823.00 | 77271.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18430 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4844 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12060.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 31 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 31

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1809.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 241.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 482.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 241.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 241.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 603.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 181.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3798.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 60.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 724.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 784.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 68979 | 4582.00 | 73561.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18431 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4845 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12060.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 32 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. RANJANI VASANT GIGANUKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 32

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1809.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 241.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 482.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 241.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 241.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 603.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 181.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3798.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 60.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 724.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 784.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 68841 | 4582.00 | 73423.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18432 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4846 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12060.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASHANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 33

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1809.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 241.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 482.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 241.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 241.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 603.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 181.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3798.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 60.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 724.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 784.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 68841 | 4582.00 | 73423.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18433 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4847 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12060.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 34 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 34

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1809.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 241.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 482.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 241.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 241.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 603.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 181.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3798.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 60.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 724.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 784.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 68841 | 4582.00 | 73423.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18434 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4848 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12060.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 35 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1

भुखंड क्र. : 35

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1809.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 241.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 482.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 241.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 241.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 603.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 181.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3798.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 60.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 724.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 784.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 68841 | 4582.00 | 73423.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18435 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4849 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 11880.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 36 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ANIL NARAYAN KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1
 भुखंड क्र. : 36
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1782.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 238.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 475.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 238.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 238.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 594.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 178.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3743.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 59.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 713.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 772.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 67831 | 4515.00 | 72346.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18436 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4998 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3360.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/1,54 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 14 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUNIL HARI RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/1,54

भुखंड क्र. : 14

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 504.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 168.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1057.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 168.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17582 | 1242.00 | 18824.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18437 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2652 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3774.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMESHCHAND SHANKARRAO PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/2

भुखंड क्र. : 13

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 566.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 75.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 151.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 75.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 75.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 189.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 57.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1188.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 189.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 208.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19755 | 1396.00 | 21151.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18438 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2778 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12655.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 29/30 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJARAM DEVRAM MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/2

भुखंड क्र. : 29/30

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1898.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 253.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 506.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 253.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 253.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 633.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 190.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3986.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 63.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 759.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 822.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 68015 | 4808.00 | 72823.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18439 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3038 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3818.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 40 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIHAYAK KASHINATH PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/2

भुखंड क्र. : 40

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 573.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 76.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 153.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 76.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 76.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 191.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 57.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1202.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 191.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 210.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13750 | 1412.00 | 15162.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18440 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3050 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6660.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MILIND VITTHAL NARKHEDE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/2

भुखंड क्र. : 23

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 999.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 133.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 266.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 133.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 133.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 333.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2097.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 400.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 433.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 24968 | 2530.00 | 27498.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|-----------------|
| देयक क्र. : | 18441 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4235 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 10944.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2+3+4/1&2+3+4/2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/2
 भुखंड क्र. : 2+3+4/1&2+3+4/2
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1642.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 219.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 438.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 219.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 219.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 547.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 164.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3448.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 55.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 657.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 712.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 33234 | 4160.00 | 37394.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18442 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4514 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2886.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHAKAR CHAVDAS SAPKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/2

भुखंड क्र. : 13PAI

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 433.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 58.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 115.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 58.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 58.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 144.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 909.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 115.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 129.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14226 | 1038.00 | 15264.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18443 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2570 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7140.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3/54 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 54 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : NEMICHAND BALIRAM CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3/54

भुखंड क्र. : 54

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1071.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 143.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 286.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 143.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 143.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 357.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 107.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2250.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 428.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 464.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38385 | 2714.00 | 41099.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18444 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2722 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3564.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3+1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 29/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAMOD BHASKAR LOKHANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3+1

भुखंड क्र. : 29/A

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 535.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 71.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 143.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 71.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 71.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 178.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 53.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1122.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 178.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 196.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18466 | 1318.00 | 19784.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18445 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2643 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6326.88 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 61/2+3-2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 39 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 61/2+3-2

भुखंड क्र. : 39

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 949.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 127.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 253.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 127.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 127.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 316.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 95.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1994.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 32.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 380.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 412.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 24243 | 2406.00 | 26649.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18446 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 390 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8640.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 62 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ANANDA GOVINDA KOLHE
DAYARAM GOVINDA KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 62
भुखंड क्र. : 9
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1296.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 173.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 346.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 173.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 173.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 432.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 130.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2723.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 43.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 518.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 561.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 39243 | 3284.00 | 42527.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18447 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 391 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8779.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 62 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VITTHAL RUPCHAND INGALE
EKNATH RUPCHAND INGALE

सि.स.नं. / गट नं. : 62
भुखंड क्र. : 10
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1317.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 176.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 351.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 176.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 176.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 439.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 132.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2767.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 44.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 527.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 571.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 33056 | 3338.00 | 36394.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18448 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 392 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8779.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 62 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 14 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DODHU ANANDA PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 62

भुखंड क्र. : 14

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1317.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 176.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 351.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 176.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 176.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 439.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 132.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2767.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 44.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 527.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 571.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 49545 | 3338.00 | 52883.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18449 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 393 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8779.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 62 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KUMIDINI BHAGAWAN KOLAMBE
RATNA BAJIRAO NARKHEDE
WEST 146.32

सि.स.नं. / गट नं. : 62
भुखंड क्र. : 15
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 1317.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 176.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 351.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 176.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 176.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 439.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 132.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2767.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 44.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 527.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 571.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 49545 | 3338.00 | 52883.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18450 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 394 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 11684.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 62 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHOBHA BHASKAR CHIRMADE
RATNA YUVRAJ CHAUDHARI
JAYSHRI CHANDRAKALA BHIRUD

सि.स.नं. / गट नं. : 62
भुखंड क्र. : 19
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1753.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 234.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 467.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 234.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 234.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 584.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 175.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3681.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 58.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 701.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 759.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 42422 | 4440.00 | 46862.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18451 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3766 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4389.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 62 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KUMUDINY BHAGVAN KOLAMBE

सि.स.नं. / गट नं. : 62

भुखंड क्र. : 15

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 658.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 88.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 176.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 88.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 88.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 219.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 66.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1383.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 22.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 219.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 241.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 22981 | 1624.00 | 24605.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18452 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3801 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2926.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 62 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 18 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHANKAR PANDURANG PACHPANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 62

भुखंड क्र. : 18

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 439.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 59.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 117.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 59.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 59.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 146.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 44.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 923.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 15.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 117.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 132.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15355 | 1055.00 | 16410.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18453 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3916 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8645.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 62 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 44 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHINTAMAN LAXMAN CHAVDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 62

भुखंड क्र. : 44

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1297.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 173.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 346.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 173.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 173.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 432.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 130.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2724.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 43.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 519.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 562.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 46195 | 3286.00 | 49481.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18454 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4042 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 10035.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 62 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 140 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGDISH CHUDAMAN NEMADE

सि.स.नं. / गट नं. : 62
भुखंड क्र. : 140
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1505.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 201.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 401.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 201.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 201.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 502.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 151.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3162.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 50.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 602.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 652.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 55948 | 3814.00 | 59762.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18455 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4244 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5400.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 62 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : EKNATH PANDIT RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 62

भुखंड क्र. : 2

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 810.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 108.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 216.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 108.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 108.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 270.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 81.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1701.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 27.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 270.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 297.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 29176 | 1998.00 | 31174.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18456 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4412 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8760.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 62 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASUDEO SHRIDHAR PATIL
VILAS SHRIDHAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 62
भुखंड क्र. : 7
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1314.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 175.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 350.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 175.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 175.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 438.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 131.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2758.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 44.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 526.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 570.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 48542 | 3328.00 | 51870.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18457 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4519 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2625.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 62 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAYABAI SAHANTARAM SAINDANE

सि.स.नं. / गट नं. : 62

भुखंड क्र. : 2

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 394.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 53.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 105.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 53.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 53.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 131.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 39.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 828.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 13.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 105.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 118.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13562 | 946.00 | 14508.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18458 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9933.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 63 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 43 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : HITENDRA DIGAMBAR MAHAJAN
OTHER'S 4

सि.स.नं. / गट नं. : 63
भुखंड क्र. : 43
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1490.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 199.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 397.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 199.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 199.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 497.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 149.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3130.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 50.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 596.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 646.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 45861 | 3776.00 | 49637.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18459 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 395 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9354.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 63 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BALIRAM MAROJI PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 63
 भुखंड क्र. : 10
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1403.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 187.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 374.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 187.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 187.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 468.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 140.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2946.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 47.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 561.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 608.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 31136 | 3554.00 | 34690.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18460 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 396 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9531.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 63 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. NIRMALA RAJNIKANT TOKE

सि.स.नं. / गट नं. : 63
भुखंड क्र. : 11
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1430.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 191.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 381.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 191.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 191.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 477.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 143.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3004.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 48.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 572.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 620.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 43880 | 3624.00 | 47504.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18461 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 397 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9354.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 63 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRATAPSING HILALALSING PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 63
भुखंड क्र. : 7
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1403.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 187.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 374.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 187.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 187.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 468.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 140.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2946.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 47.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 561.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 608.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 40403 | 3554.00 | 43957.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18462 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 398 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8361.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 63 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 28 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMBHAU NAMDEO BADHE
SITARAM VITHOBA ZAMBARE

सि.स.नं. / गट नं. : 63
भुखंड क्र. : 28
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1254.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 167.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 334.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 167.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 167.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 418.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 125.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2632.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 42.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 502.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 544.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 47170 | 3176.00 | 50346.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18463 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 399 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9480.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 63 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHAGWAN CHENDU NEMADE

सि.स.नं. / गट नं. : 63

भुखंड क्र. : 1

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1422.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 190.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 379.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 190.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 190.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 474.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 142.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2987.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 47.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 569.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 616.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 32640 | 3603.00 | 36243.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18464 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 400 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9572.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 63 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUMATIBAI B. DONGAR DHANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 63

भुखंड क्र. : 2

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1436.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 191.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 383.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 191.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 191.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 479.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 144.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3015.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 48.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 574.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 622.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 54002 | 3637.00 | 57639.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18465 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 401 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9332.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 63 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. MUKTABAI NAMDEO PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 63

भुखंड क्र. : 4

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1400.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 187.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 373.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 187.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 187.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 467.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 140.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2941.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 47.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 560.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 607.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 36630 | 3548.00 | 40178.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18466 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 402 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9957.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 63 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 43 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : HITENDRA DIGANBAR MAHAJAN
SANTOSH DIGAMBAR MAHAJAN
KAVITA DIGAMBAR MAHAJAN
SHILAJA DUGAMBAR MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 63

भुखंड क्र. : 43

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1494.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 199.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 398.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 199.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 199.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 498.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 149.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3136.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 50.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 597.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 647.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 46854 | 3783.00 | 50637.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18467 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 403 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8514.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 63 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. USHA VASANT BENDALE
SAU. NALINI RAMESH ZOPE

सि.स.नं. / गट नं. : 63
भुखंड क्र. : 33
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1277.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 170.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 341.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 170.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 170.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 426.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 128.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2682.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 43.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 511.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 554.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18704 | 3236.00 | 21940.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18468 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 405 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8779.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 63 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 20 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : V. PRAVIN VIDYANATHAN AYYER

सि.स.नं. / गट नं. : 63

भुखंड क्र. : 20

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1317.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 176.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 351.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 176.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 176.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 439.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 132.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2767.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 44.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 527.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 571.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 27039 | 3338.00 | 30377.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18469 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 406 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9332.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 63 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PADMAKAR SHAHAJI PATIL
ASHOK BANSILAL NANDODE

सि.स.नं. / गट नं. : 63
भुखंड क्र. : 17
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1400.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 187.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 373.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 187.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 187.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 467.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 140.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2941.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 47.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 560.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 607.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 30056 | 3548.00 | 33604.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18470 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 407 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8502.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 63 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 40 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. KAMAL PREMCHAND CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 63

भुखंड क्र. : 40

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1275.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 170.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 340.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 170.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 170.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 425.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 128.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2678.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 43.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 510.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 553.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 28419 | 3231.00 | 31650.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18471 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 408 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8502.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 63 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 41 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. KUMUD CHANDRAKANT NEHETE
CHANDRAHAS VAMANRAO MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 63

भुखंड क्र. : 41

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1275.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 170.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 340.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 170.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 170.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 425.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 128.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2678.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 43.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 510.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 553.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38417 | 3231.00 | 41648.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18472 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3543 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9512.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 63 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. NIRMALA RAJANIKANT TOLE

सि.स.नं. / गट नं. : 63
भुखंड क्र. : 11
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1427.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 190.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 380.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 190.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 190.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 476.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 143.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2996.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 48.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 571.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 619.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 49805 | 3615.00 | 53420.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18473 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3953 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4251.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 63 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRAKANT RAJARAM BADHE

सि.स.नं. / गट नं. : 63

भुखंड क्र. : 23

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 638.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 85.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 170.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 85.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 85.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 213.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 64.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1340.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 21.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 213.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 234.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 23123 | 1574.00 | 24697.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18474 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3168 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 18701.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 64 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : JIVRAM TUKARAM MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 64

भुखंड क्र. : 11

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2805.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 374.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 748.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 374.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 374.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 935.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 281.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 5891.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 94.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1122.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1216.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 28428 | 7107.00 | 35535.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18475 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3169 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 15928.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 64 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 52 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMCHANDRA ROOPALA LOKHANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 64

भुखंड क्र. : 52

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2389.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 319.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 637.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 319.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 319.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 796.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 239.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 5018.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 80.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 956.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1036.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 50858 | 6054.00 | 56912.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18476 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3170 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 16735.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 64 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMCHANDRA ROOPALA LOKHANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 64

भुखंड क्र. : 13

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2510.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 335.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 669.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 335.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 335.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 837.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 251.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 5272.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 84.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1004.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1088.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 52619 | 6360.00 | 58979.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18477 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4548 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14192.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 64 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHAUNTALA SEVABHAVI TRUST ,JALGAON

सि.स.नं. / गट नं. : 64

भुखंड क्र. : 6

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2129.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 284.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 568.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 284.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 284.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 710.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 213.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4472.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 71.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 852.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 923.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 72997 | 5395.00 | 78392.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18478 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4549 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 13935.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 64 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : JIVRAM TUKARAM MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 64

भुखंड क्र. : 7

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2090.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 279.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 557.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 279.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 279.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 697.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 209.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4390.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 836.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 906.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 71677 | 5296.00 | 76973.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18479 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3266 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8695.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65 & 66/42/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : S.G. CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 65 & 66/42/1

भुखंड क्र. : 13/B

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1304.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 174.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 348.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 174.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 174.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 435.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 130.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2739.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 43.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 522.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 565.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 46743 | 3304.00 | 50047.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| देयक क्र. : | 18480 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3640 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7800.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65(112/1/212) |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRAKANT WELJI PAWAR

सि.स.नं. / गट नं. : 65(112/1/212)

भुखंड क्र. : 13

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1170.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 156.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 312.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 156.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 156.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 390.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 117.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2457.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 39.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 468.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 507.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41928 | 2964.00 | 44892.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18481 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3639 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8100.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65(211/212) |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRAKANT WELJI PAWAR

सि.स.नं. / गट नं. : 65(211/212)

भुखंड क्र. : 12

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1215.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 162.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 324.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 162.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 162.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 405.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 122.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2552.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 41.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 486.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 527.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 43540 | 3079.00 | 46619.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18482 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 409 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8361.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHASHIKALA RAVINDRA PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 6

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1254.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 167.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 334.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 167.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 167.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 418.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 125.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2632.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 42.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 502.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 544.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 47170 | 3176.00 | 50346.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18483 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 410 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8916.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 25 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP RANANDRAO CHAUHAN

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 25

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1337.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 178.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 357.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 178.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 178.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 446.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 134.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2808.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 45.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 535.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 580.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 47306 | 3388.00 | 50694.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18484 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 411 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12631.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 26 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MALOJIRAO ANANDRAO CHAUHAN

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 26

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1895.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 253.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 505.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 253.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 253.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 632.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3980.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 63.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 758.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 821.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 71274 | 4801.00 | 76075.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18485 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 412 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 11948.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 27 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ASHOK RAMDAS NANDEDKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 27

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1792.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 239.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 478.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 239.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 239.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 597.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 179.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3763.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 60.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 717.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 777.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 67411 | 4540.00 | 71951.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18486 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 413 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 11357.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 28 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ASHOK RAMDAS NANDEDKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 28

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1704.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 227.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 454.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 227.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 227.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 568.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 170.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3577.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 57.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 681.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 738.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 64061 | 4315.00 | 68376.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18487 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 414 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9057.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 30 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHALINI ANAMRAO DESHMUKH

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 30

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1359.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 181.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 362.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 181.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 181.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 453.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 136.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2853.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 45.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 543.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 588.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 51094 | 3441.00 | 54535.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18488 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 415 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8779.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 36 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHAGAWAN SHAVMAO CHAUDHARI
EKNATH SUBA MAGARE
EAST 146.32

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 36

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1317.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 176.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 351.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 176.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 176.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 439.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 132.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2767.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 44.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 527.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 571.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 49549 | 3338.00 | 52887.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18489 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 416 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8779.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 37 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRALHAD VYANKAT CHAUDHARI
PRAMILA PRALHAD CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 37

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1317.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 176.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 351.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 176.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 176.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 439.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 132.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2767.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 44.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 527.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 571.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38207 | 3338.00 | 41545.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18490 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 417 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9058.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. CHANDRAKALA VASANT BHARAMBE
WEST 150.75
CHUDAMAN VITHU DHANDE
EAST 150.75

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 33

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1359.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 181.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 362.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 181.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 181.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 453.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 136.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2853.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 45.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 543.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 588.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 51094 | 3441.00 | 54535.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18491 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 418 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4355.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 39/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHANKAR GANGARAM BHANGALE

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 39/A

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 653.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 87.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 174.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 87.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 87.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 218.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 65.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1371.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 22.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 218.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 240.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 16233 | 1611.00 | 17844.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18492 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 419 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8779.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 18 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. NILIMA RAMESH ATELE
SOUTH 134.71
NITIN DAMODHAR KOLHE
NORTH 157.93

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 18

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1317.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 176.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 351.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 176.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 176.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 439.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 132.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2767.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 44.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 527.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 571.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 35902 | 3338.00 | 39240.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18493 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 420 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8770.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANOHAR SUPDU PATIL
VINYAK MURALIDHAR MAHAJAN
WEST 146.32

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66
भुखंड क्र. : 17/B
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1316.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 175.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 351.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 175.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 175.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 439.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 132.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2763.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 44.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 526.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 570.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 49484 | 3333.00 | 52817.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18494 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 421 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9058.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 14 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : GANGADHAR PANDHARINATH NAIK
MADHUKAR PANDHARINATH NAIK

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 14

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1359.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 181.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 362.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 181.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 181.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 453.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 136.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2853.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 45.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 543.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 588.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 48993 | 3441.00 | 52434.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18495 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 422 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 13637.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHAKUNTALA GHANSHYAM CHAUDHARI
WEST 289.85
DNYANDEO BHIVSAN PATIL
EAST 164.71

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 13

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2046.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 273.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 545.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 273.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 273.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 682.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 205.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4297.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 68.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 818.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 886.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 76947 | 5183.00 | 82130.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18496 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 423 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8718.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 48 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SURYAKANT DHANAJI CHAUDHARI
WEST 145.30
SHANTARAM UPENDRA DOHALE
VIJAY KAMLAKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 48

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1308.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 174.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 349.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 174.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 174.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 436.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 131.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2746.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 44.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 523.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 567.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 39531 | 3313.00 | 42844.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18497 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 424 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4529.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 23/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DEVRAM KALU PATIL
NARAYAN KALU PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66
भुखंड क्र. : 23/A
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 679.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 91.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 181.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 91.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 91.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 226.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 68.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1427.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 23.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 226.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 249.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14953 | 1676.00 | 16629.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18498 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 425 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8919.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 50 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : G.B. SHAMABAI MAHARU MAHAJAN
KHEMCHAND MAHARU MAHAJAN
PREMCHAND MAHARU MAHAJAN
NAROTTAM MAHARU MAHAJAN
SAU. KALABAI RAGHUNATH BHIRUD
SAU. KAMAL PURUSHOTTAM PATIL
SAU. SUMAN RAGHUNATH ATTARDE

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 50

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1338.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 178.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 357.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 178.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 178.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 446.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 134.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2809.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 45.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 535.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 580.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15392 | 3389.00 | 18781.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18499 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 426 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8919.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 51 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. KAMAL DEVRAM CHAUDHARI
SAU. SHOBHA DILIP BHORTAKKE

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 51

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1338.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 178.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 357.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 178.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 178.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 446.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 134.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2809.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 45.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 535.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 580.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 43426 | 3389.00 | 46815.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18500 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 427 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8710.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 41 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DHAIRYA SHIMRAV SHIRIPATRAO CHAUVHAN
LILABAI B. DHAIRYA CHAUVHAN

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 41

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1307.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 174.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 348.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 174.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 174.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 436.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 131.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2744.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 44.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 523.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 567.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13249 | 3311.00 | 16560.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18501 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 428 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8919.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 53 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PANDHRINATH BUMA DHAKE
DALU RANGU CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 53

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 1338.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 178.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 357.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 178.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 178.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 446.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 134.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2809.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 45.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 535.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 580.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 50320 | 3389.00 | 53709.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18502 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 429 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9057.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 44 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : NANDA VIJAY CHAUDHARI
WEST 150.9
KIRAN PRALHAD PATIL
EAST 150.2

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 44

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1359.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 181.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 362.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 181.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 181.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 453.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 136.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2853.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 45.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 543.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 588.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 50793 | 3441.00 | 54234.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18503 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3188 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7530.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 31 PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANJAY GHANSHYAM NIKUMBH

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66
भुखंड क्र. : 31 PAI
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1130.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 151.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 301.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 151.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 151.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 377.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 113.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2374.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 38.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 452.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 490.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41505 | 2864.00 | 44369.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18504 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3632 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14793.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : S. B. NEMADE & OTHERS

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 19

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2219.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 296.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 592.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 296.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 296.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 740.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 222.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4661.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 74.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 888.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 962.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 82001 | 5623.00 | 87624.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18505 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3656 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4389.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 36 PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : 8HAGWAT SHAMRAO CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66
भुखंड क्र. : 36 PAI
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 658.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 88.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 176.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 88.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 88.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 219.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 66.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1383.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 22.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 219.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 241.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 22111 | 1624.00 | 23735.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18506 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3736 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4457.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 49 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHASHIKANT SHANKAR DESHPANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 49

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 669.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 89.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 178.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 89.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 89.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 223.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 67.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1404.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 22.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 223.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 245.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14841 | 1649.00 | 16490.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18507 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3980 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4527.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 44 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : NANDA VIJAY CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 44

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 679.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 91.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 181.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 91.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 91.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 226.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 68.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1427.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 23.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 226.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 249.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 24911 | 1676.00 | 26587.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18508 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4011 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4528.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 31 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANJU GHANSHAM NIKUMB

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 31

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 679.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 91.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 181.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 91.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 91.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 226.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 68.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1427.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 23.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 226.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 249.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 24140 | 1676.00 | 25816.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18509 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4326 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14793.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHASKAR NATTHU NEMADE

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 19

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2219.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 296.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 592.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 296.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 296.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 740.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 222.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4661.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 74.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 888.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 962.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 52424 | 5623.00 | 58047.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18510 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4413 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4359.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 45 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SURYAKANT D. CHAUDHRI

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 45

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 654.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 87.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 174.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 87.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 87.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 218.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 65.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1372.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 22.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 218.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 240.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 23538 | 1612.00 | 25150.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18511 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4476 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4503.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 65+66 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 49 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHASHIKANT SHANKAR DESPHANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 65+66

भुखंड क्र. : 49

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 675.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 90.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 180.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 90.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 90.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 225.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 68.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1418.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 23.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 225.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 248.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 16791 | 1666.00 | 18457.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18512 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2581 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6615.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 68/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KIRAN VASUDEO WAYKOLE

सि.स.नं. / गट नं. : 68/1

भुखंड क्र. : 3

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 992.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 132.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 265.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 132.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 132.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 331.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 99.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2083.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 397.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 430.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 36002 | 2513.00 | 38515.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18513 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3287 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9120.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69-45 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3 PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : P.L. RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 69-45
 भुखंड क्र. : 3 PAI
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1368.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 182.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 365.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 182.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 182.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 456.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 137.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2872.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 46.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 547.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 593.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 49022 | 3465.00 | 52487.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18514 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 10260.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHARAT KISAN DHANDE
HARISH KISAN DHANDE
VASANT PUNJI KARODE

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 21

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1539.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 205.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 410.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 205.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 205.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 513.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 154.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3231.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 51.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 616.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 667.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 57878 | 3898.00 | 61776.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18515 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 806 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 17212.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDIT KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69
भुखंड क्र. : 1
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2582.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 344.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 689.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 344.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 344.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 861.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 258.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 5422.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 86.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1033.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1119.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 62464 | 6541.00 | 69005.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18516 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 807 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14400.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. YOGINI CHANDRAKANT CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 2

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2160.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 288.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 576.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 288.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 288.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 720.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 216.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4536.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 72.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 864.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 936.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 75962 | 5472.00 | 81434.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18517 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 808 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 13500.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. VIDYA KRUSHNA PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 69
 भुखंड क्र. : 3
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2025.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 270.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 540.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 270.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 270.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 675.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 203.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4253.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 68.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 810.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 878.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 71222 | 5131.00 | 76353.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18518 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 809 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 13500.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KU. VANDNA VIJAY KOLHE
VIJAY PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69
भुखंड क्र. : 4
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2025.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 270.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 540.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 270.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 270.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 675.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 203.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4253.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 68.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 810.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 878.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38738 | 5131.00 | 43869.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18519 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 810 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 13500.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KU. KAJAL VIJAY KOLHE
VIJAY PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69
भुखंड क्र. : 5
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2025.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 270.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 540.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 270.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 270.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 675.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 203.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4253.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 68.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 810.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 878.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 48670 | 5131.00 | 53801.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18520 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 811 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 16200.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KU. PALLAVI VIJAY KOLHE
VIJAY PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69
भुखंड क्र. : 6
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2430.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 324.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 648.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 324.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 324.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 810.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 243.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 5103.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 81.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 972.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1053.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 71292 | 6156.00 | 77448.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18521 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 812 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14400.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUNAYANA VASANT KOLHE
VASANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 8

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2160.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 288.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 576.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 288.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 288.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 720.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 216.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4536.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 72.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 864.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 936.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 75962 | 5472.00 | 81434.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18522 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 813 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14400.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANJIV BHASKAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 9

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2160.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 288.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 576.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 288.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 288.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 720.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 216.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4536.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 72.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 864.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 936.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 81242 | 5472.00 | 86714.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18523 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 814 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14400.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 10

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2160.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 288.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 576.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 288.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 288.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 720.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 216.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4536.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 72.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 864.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 936.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 65482 | 5472.00 | 70954.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18524 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 815 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14400.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 11

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2160.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 288.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 576.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 288.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 288.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 720.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 216.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4536.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 72.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 864.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 936.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 65482 | 5472.00 | 70954.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18525 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 816 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14400.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 12

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2160.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 288.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 576.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 288.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 288.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 720.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 216.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4536.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 72.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 864.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 936.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 65482 | 5472.00 | 70954.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18526 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 817 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14197.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 13

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2130.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 284.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 568.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 284.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 284.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 710.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 213.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4473.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 71.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 852.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 923.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 69930 | 5396.00 | 75326.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18527 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 818 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8904.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 14 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 14

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1336.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 178.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 356.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 178.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 178.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 445.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 134.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2805.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 45.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 534.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 579.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 43842 | 3384.00 | 47226.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18528 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 819 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9120.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69
भुखंड क्र. : 15
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1368.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 182.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 365.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 182.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 182.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 456.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 137.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2872.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 46.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 547.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 593.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 44938 | 3465.00 | 48403.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18529 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 820 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9120.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : UDHAV SITARAM PATIL
SAU. VANDANA UDHAV PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 69
भुखंड क्र. : 16
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1368.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 182.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 365.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 182.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 182.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 456.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 137.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2872.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 46.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 547.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 593.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37842 | 3465.00 | 41307.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18530 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 821 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9120.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DATTATRY DAULAT MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 17

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1368.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 182.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 365.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 182.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 182.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 456.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 137.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2872.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 46.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 547.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 593.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 50846 | 3465.00 | 54311.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18531 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 822 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9120.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 18 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUSHAMA PURUSHOTTAM PATIL
PURUSHOTTAM GIRADHAR PATIL
BHAGVANT DAGADU RAJHANS

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 18

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1368.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 182.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 365.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 182.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 182.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 456.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 137.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2872.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 46.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 547.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 593.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 49782 | 3465.00 | 53247.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18532 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 823 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9120.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANJAY BHOGRAJ CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 19

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1368.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 182.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 365.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 182.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 182.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 456.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 137.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2872.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 46.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 547.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 593.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 50238 | 3465.00 | 53703.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18533 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 824 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9120.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 20 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRADIP BHUTAJI WAGH
RAMESH DAULAT MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 69
भुखंड क्र. : 20
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 1368.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 182.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 365.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 182.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 182.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 456.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 137.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2872.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 46.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 547.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 593.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 48876 | 3465.00 | 52341.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18534 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 826 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9120.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 22 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP VASANTRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 22

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1368.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 182.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 365.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 182.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 182.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 456.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 137.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2872.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 46.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 547.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 593.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17325 | 3465.00 | 20790.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18535 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 827 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8550.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 23

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1283.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 171.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 342.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 171.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 171.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 428.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 128.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2694.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 43.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 513.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 556.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 25734 | 3250.00 | 28984.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18536 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2191 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14400.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DIPAK VASANT KOLHE
APAK VI JAY PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69
भुखंड क्र. : 7
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2160.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 288.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 576.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 288.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 288.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 720.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 216.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4536.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 72.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 864.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 936.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 71240 | 5472.00 | 76712.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18537 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2205 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9600.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHARAT KISAN DHANDE
HARISH KISAN DHANDE
VASANT PUNJO SARODE

सि.स.नं. / गट नं. : 69
भुखंड क्र. : 21
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1440.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 192.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 384.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 192.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 192.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 480.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 144.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3024.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 48.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 576.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 624.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41410 | 3648.00 | 45058.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18538 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2208 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8550.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 24 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAYA SATISH RANE
SURESH PAVHNU DHANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 69
भुखंड क्र. : 24
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1283.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 171.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 342.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 171.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 171.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 428.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 128.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2694.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 43.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 513.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 556.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 42428 | 3250.00 | 45678.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18539 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2209 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9120.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 25 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAFULLA LIMRAJ RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 69
 भुखंड क्र. : 25
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1368.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 182.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 365.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 182.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 182.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 456.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 137.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2872.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 46.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 547.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 593.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 68782 | 3465.00 | 72247.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18540 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2210 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 15984.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 26 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDIRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 26

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2398.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 320.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 639.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 320.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 320.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 799.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 240.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 5036.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 80.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 959.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1039.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 59910 | 6075.00 | 65985.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18541 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2211 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8797.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 27 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDIRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69
 भुखंड क्र. : 27
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1320.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 176.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 352.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 176.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 176.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 440.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 132.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2772.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 44.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 528.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 572.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 32812 | 3344.00 | 36156.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18542 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2212 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8853.60 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 28 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDIRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 28

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1328.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 177.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 354.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 177.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 177.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 443.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 133.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2789.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 44.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 531.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 575.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 22805 | 3364.00 | 26169.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18543 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2213 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8898.75 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 29 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDIRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69
 भुखंड क्र. : 29
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1335.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 178.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 356.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 178.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 178.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 445.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 133.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2803.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 44.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 534.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 578.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 33180 | 3381.00 | 36561.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18544 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2214 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8955.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 30 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDIRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 30

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1343.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 179.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 358.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 179.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 179.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 448.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 134.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2820.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 45.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 537.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 582.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13608 | 3402.00 | 17010.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18545 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2215 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6739.20 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | .31/1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RANJAN A CHETANKUMAR BHANGALE

सि.स.नं. / गट नं. : 69
 भुखंड क्र. : .31/1
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1011.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 135.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 270.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 135.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 135.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 337.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 101.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2124.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 404.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 438.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38033 | 2562.00 | 40595.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18546 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2216 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8176.20 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | .31/2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : **BABURAO KESHAVJI CHIRMADE**
VIJAY PANDITRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69
भुखंड क्र. : .31/2
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1226.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 164.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 327.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 164.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 164.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 409.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 123.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2577.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 41.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 491.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 532.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17714 | 3109.00 | 20823.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18547 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2217 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12720.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 32 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDIRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 32

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1908.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 254.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 509.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 254.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 254.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 636.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 191.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4006.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 64.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 763.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 827.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 48955 | 4833.00 | 53788.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील



स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.

| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18548 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2218 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12720.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDIRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69
भुखंड क्र. : 33
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1908.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 254.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 509.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 254.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 254.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 636.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 191.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4006.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 64.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 763.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 827.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 73287 | 4833.00 | 78120.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18549 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2219 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9450.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 34 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DEVIDAS RAMDAS RANE
[RAVOM(KIRAN) VISHANVAS BHARATHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69
भुखंड क्र. : 34
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1418.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 189.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 378.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 189.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 189.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 473.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 142.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2978.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 47.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 567.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 614.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 53322 | 3592.00 | 56914.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18550 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2220 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8925.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 35 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHOBHA ASHOK PATIL
RAMESH DAYARAM CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 69
भुखंड क्र. : 35
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1339.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 179.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 357.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 179.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 179.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 446.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 134.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2813.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 45.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 536.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 581.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41574 | 3394.00 | 44968.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18551 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2221 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9450.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 36 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : **BABURAO ONKAR RANE**
MADHURI HUKMCHAND MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 36

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1418.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 189.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 378.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 189.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 189.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 473.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 142.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2978.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 47.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 567.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 614.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 44945 | 3592.00 | 48537.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील
स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18552 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2222 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12720.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 37 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDIIRAO KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69
भुखंड क्र. : 37
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1908.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 254.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 509.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 254.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 254.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 636.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 191.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4006.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 64.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 763.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 827.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13228 | 4833.00 | 18061.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18553 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2223 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12720.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 38 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDITRAO KOLHE
(SEVKRAM GANCHAND BASTANI)

सि.स.नं. / गट नं. : 69
भुखंड क्र. : 38
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1908.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 254.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 509.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 254.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 254.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 636.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 191.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4006.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 64.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 763.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 827.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37088 | 4833.00 | 41921.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18554 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2224 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 12421.80 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 39 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY PANDITRAO KOLHE
MURLIDHAR NATHTHU INGALE
VILAS NATHTHU INGALE

सि.स.नं. / गट नं. : 69
भुखंड क्र. : 39
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1863.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 248.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 497.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 248.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 248.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 621.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 186.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3911.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 62.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 745.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 807.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 60571 | 4718.00 | 65289.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18555 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2225 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9000.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 40 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJENDRA SHARAD CHAUDHARI
NILIMA RAJENDRA CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 69
भुखंड क्र. : 40
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1350.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 180.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 360.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 180.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 180.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 450.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 135.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2835.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 45.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 540.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 585.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 50180 | 3420.00 | 53600.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18556 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2226 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9000.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 41 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ICHACHARAM NATHTHURAM
NARKHEDE SHASHIKANT MURLIDHAR
BHANGALE ARUN BHAULAL CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 69
भुखंड क्र. : 41
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1350.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 180.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 360.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 180.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 180.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 450.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 135.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2835.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 45.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 540.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 585.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 50780 | 3420.00 | 54200.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18557 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2227 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9000.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 42 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VISHANU DASHARATH PATIL
PRADIP VASUDEO WAIKUDE
SUNILN RUPCHAND BARDE

सि.स.नं. / गट नं. : 69
भुखंड क्र. : 42
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1350.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 180.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 360.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 180.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 180.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 450.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 135.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2835.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 45.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 540.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 585.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 50480 | 3420.00 | 53900.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18558 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2228 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8700.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 43 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PANDITRAO MKOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 43

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1305.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 174.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 348.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 174.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 174.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 435.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 131.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2741.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 44.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 522.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 566.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 49093 | 3307.00 | 52400.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18559 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2229 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9675.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 44 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PANDITRAO MKOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 44

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1451.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 194.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 387.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 194.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 194.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 484.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 145.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3049.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 48.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 581.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 629.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 54603 | 3678.00 | 58281.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18560 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2230 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9600.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 45 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PANDITRAO MKOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 45

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1440.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 192.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 384.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 192.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 192.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 480.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 144.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3024.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 48.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 576.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 624.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 54158 | 3648.00 | 57806.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18561 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2231 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9600.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 46 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PANDITRAO MKOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 46

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1440.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 192.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 384.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 192.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 192.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 480.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 144.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3024.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 48.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 576.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 624.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 54158 | 3648.00 | 57806.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18562 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2232 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9750.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 47 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PANDITRAO MKOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 47

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1463.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 195.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 390.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 195.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 195.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 488.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 146.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3072.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 49.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 585.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 634.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 51424 | 3706.00 | 55130.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18563 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2233 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9690.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 48 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MAN GALA ASHOK INGALE

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 48

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1454.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 194.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 388.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 194.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 194.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 485.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 145.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3054.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 48.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 581.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 629.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 32394 | 3683.00 | 36077.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18564 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2234 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8692.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 49 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAMOD RAGHUNAATH CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 49

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1304.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 174.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 348.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 174.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 174.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 435.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 130.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2739.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 43.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 522.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 565.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 29070 | 3304.00 | 32374.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18565 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2235 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8692.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 50 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAI KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 50

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1304.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 174.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 348.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 174.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 174.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 435.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 130.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2739.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 43.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 522.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 565.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 42246 | 3304.00 | 45550.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 18566 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2236 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8692.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 69 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 51 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT PANDITRAI KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 69

भुखंड क्र. : 51

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1304.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 174.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 348.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 174.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 174.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 435.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 130.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2739.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 43.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 522.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 565.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41184 | 3304.00 | 44488.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या